



राजस्थान सरकार

मार्स्टर प्लान

फलोदी

(2003–2023)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

के अंतर्गत तैयार किया गया।

नगर नियोजन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

आभार

फलोदी के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में फलोदी के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगर के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर जोधपुर एवं नगर पालिका फलोदी की विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय—समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षण तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सालय, जल—प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्रीमति इन्द्रा चौधरी
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर

योजना-दल

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. श्री एन.के.खरे | — मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर। |
| 2. श्री शशांक महागांवकर | — मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। |
| 3. श्री यू.के.श्रीवास्तव | — मुख्य नगर नियोजक, राज, जयपुर
(मार्च 2007 तक)। |
| 4. श्री हेमन्त मुरडिया | — मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
(अगस्त 2004 तक)। |
| 5. श्रीमती इन्दिरा चौधरी | — अति. मुख्य नगर नियोजक, (पश्चिम) राजस्थान,
जयपुर। |
| 6. श्री बी.आर.पी. भटनागर | — अति. मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) राजस्थान,
जयपुर। |
| 7. श्रीमती मधुश्री सेन | — अति. मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) राजस्थान,
जयपुर। |
| 8. श्री चन्द्रशेखर पाराशर | — वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर। |
| 9. श्री एस.सी.बिश्नोई | — वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर। |
| 10. श्री आर.एल.टुकलिया | — वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर। |
| 11. श्री अनिल माथूर | — उप नगर नियोजक, जोधपुर। |
| 12. श्री पी.आर.बेनिवाल | — उप नगर नियोजक, जोधपुर। |
| 13. श्री बी.डी.जाट | — उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राज. जयपुर। |
| 14. श्री रोशन सिंह चौहान | — सहायक नगर नियोजक, जोधपुर। |
| 15. श्री मोहम्मद अय्यूब | — सहायक नगर नियोजक, जयपुर। |
| 16. श्री जगदीश कलवार | — सहायक नगर नियोजक, जयपुर |

अभियांत्रिकी शाखा

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. श्री रणजीत सिंह गच्छ | — सहायक अभियन्ता, जोधपुर। |
| 2. श्री सुबोध शर्मा | — कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर। |
| 3. श्री छवंरलाल भाटी | — कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर। |
| 4. श्री तेजाराम सांखला | — कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर। |

अनुसंधान शाखा

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. श्री खेताराम चौधरी | — | अनुसंधान सहायक, जोधपुर। |
| 2. श्री गोपाललाल जाखड़ | — | अन्वेषक ग्रेड—प्रथम, जयपुर। |
| 3. श्री रामचन्द्र भाटी | — | अन्वेषक ग्रेड—प्रथम, जोधपुर। |
| 4. श्री मुरारी लाल अवरथी | — | अन्वेषक ग्रेड—द्वितीय, जोधपुर। |
| 5. श्री जयसिंह रत्नौ | — | अन्वेषक ग्रेड—द्वितीय, जयपुर। |
| 6. श्रीमती आशा शर्मा | — | अन्वेषक ग्रेड—द्वितीय, जयपुर। |

मानचित्र शाखा

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| 1. श्री जगदीश राजोरिया | — | वरिष्ठ प्रारूपकार, जयपुर। |
| 2. श्री पृथ्वीराज | — | वरिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर। |
| 3. श्री भगवान लाल राठौड़ | — | वरिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर। |
| 4. श्री सुगन चन्द जान्दु | — | कनिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर। |
| 5. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा | — | कनिष्ठ प्रारूपकार, जयपुर। |
| 6. श्री प्रदीप शर्मा | — | अनुरेखक, जोधपुर। |
| 7. श्री नरसिंह राम | — | अनुरेखक, जोधपुर। |
| 8. श्री रामावतार शर्मा | — | फेरोमेन, जोधपुर |

मंत्रालयिक शाखा

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. श्री अरूण कुमार माथुर | — | निजी सहायक, जोधपुर। |
| 2. श्री प्रमोदगोपाल पुरोहित | — | वरिष्ठ लिपिक, जोधपुर। |
| 3. श्री राजेन्द्र कुमार गांधी | — | कनिष्ठ लिपिक, जोधपुर। |

विषय – सूची

अध्याय क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	i
	योजना–दल	ii
	विषय – सूची	iv
	तालिका सूची	ix
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएं	4
	2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु	4
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	5
	2.3 ऐतिहासिक	5
	2.4 जनांकिकी	6
	2.5 व्यावसायिक संरचना	7
	2.6 विद्यमान भू–उपयोग	8
	2.6(1) आवासीय	9
	2.6 (1) अ – आवासन	10
	2.6 (1) ब – कच्ची बस्तियाँ	10
	2.6(2) व्यावसायिक	11
	2.6(3) औद्योगिक	11
	2.6(4) राजकीय	12
	2.6(4) अ – सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	12

2.6(5)	आमोद – प्रमोद	13
2.6(5)अ	उद्यान एवं खुले स्थल	13
2.6(5)ब	स्टेडियम एवं खेल मैदान	13
2.6(5)स	मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ	14
2.6(6)	सार्वजनिक एवं अद्व्युत् सार्वजनिक	14
2.6(6)अ	शैक्षणिक	14
2.6(6)ब	चिकित्सा	15
2.6(6)स	सामाजिक / सांस्कृतिक	16
2.6(6)द	धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	16
2.6(6)य	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	16
2.6(6)र	जनोपयोगी सुविधाएँ	17
2.(6)र(i)	जलापूर्ति	17
2.(6)र(ii)	मल जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	18
2.6)र(iii)	विद्युत	18
2.6(6)ल	शमशान एवं कब्रिस्तान	19
2.6(7)	परिसंचरण	19
2.6(7)अ	यातायात व्यवस्था	19
2.6(7)ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	20
2.6(7)स	रेल एवं हवाई सेवा	20
3.0	नियोजन की संकल्पना	21
3.1	नियोजन की नीतियाँ	22
3.2	नियोजन के सिद्धान्त	23
4.0	भावी आकार	26

4.1	जनांकिकी	26
4.2	व्यावसायिक संरचना	27
4.3	नगरीय क्षेत्र	28
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	28
4.5	योजना परिक्षेत्र	29
	(अ) उत्तरी योजना परिक्षेत्र	30
	(ब) दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	30
	(स) परिधि नियन्त्रण पट्टी :-	31
5.0	भू-उपयोग योजना	32
5.1	आवासीय	33
	5.1 (1) नगरीय नवीनीकरण / कच्ची बस्तियाँ	34
5.2	व्यावसायिक	35
	5.2(1) फुटकर व्यवसाय एवं सुविधाजनक दुकानें	36
	5.2(2) व्यावसायिक केन्द्र (शहरी/उप नगर केन्द्र)	36
	5.2(3) विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार	37
	5.2(4) भण्डार एवं गोदाम	37
5.3	औद्योगिक	37
5.4	राजकीय	38
	5.4(1) राजकीय एवं अद्वैत राजकीय कार्यालय	38
	5.4(2) सरकारी आरक्षित	38
5.5	आमोद – प्रमोद	39
	5.5(1) उद्यान एवं खुले स्थल	39
	5.5(2) स्टेडियम एवं खेल मैदान	40
	5.5(3) अद्वैत सार्वजनिक मनोरंजन	40
	5.5(4) मेले/पर्यटन सुविधाएँ	40
5.6	सार्वजनिक एवं अद्वैत सार्वजनिक	40

5.6(1)	शैक्षणिक	41
5.6(2)	चिकित्सा	42
5.6(3)	सामाजिक / सांस्कृतिक	42
5.6(4)	धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल	42
5.6(5)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	43
5.6(6)	जनोपयोगी सुविधाएं	43
5.6(6)अ	जलापूर्ति	43
5.6(6)ब	मल—जल निकास, एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	43
5.6(6)स	विद्युत आपूर्ति	44
5.6(7)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	44
5.7	परिसंचरण	44
5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	44
5.7(1)अ	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	44
5.7.1(ब)	सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार करना	46
5.7(1)स	चौराहों का सुधार	46
5.7(1)य	पार्किंग व्यवस्था	47
5.7(2)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	47
5.7(3)	रेल एवं हवाई सेवा	47
5.8	परिधि नियन्त्रण पट्टी	48
5.8(1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	48
6.0	योजना का क्रियान्वयन	50
6.1	वर्तमान आधार	50
6.2	प्रस्तावित आधार	51
6.3	जनसहभागिता एवं जन सहयोग	52

6.4	भू –उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	52
6.5	उपसंहार	53
परिशिष्ट:-	1अ राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण (मास्टर प्लान तैयार करने सम्बन्धी)	54
	1ब राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	56
	2 राजकीय अधिसचूना धारा 3(1), क्रमांक प10(47)नविवि / 3 / 98 दिनांक 28.01.1999	61
	3. राजकीय अधिसचूना धारा 5(1), क्रमांक टीपीआर 1116 / एमपी / फलोदी / दिनांक 24.07.2007	62
	4. राजकीय अधिसचूना धारा 7(1), क्रमांक प.10(47)नविवि / 3 / 98पार्ट दिनांक 01.05.2012	63

तालिका सूची

पृष्ठ सं.

1. जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति – फलोदी – 1901 –2001	7
2. व्यावसायिक संरचना – फलोदी – 1991–2001	8
3. विद्यमान भू-उपयोग – फलोदी – 2003	9
4. औद्योगिक संरचना – फलोदी – 2003	12
5. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय – फलोदी 2003	13
6. शैक्षणिक संरचना – फलोदी – 2003	15
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ – फलोदी – 2003	15
8. जल आपूर्ति कनेक्शन के प्रकार एवं संख्या—फलोदी – 2003	17
9. विद्युत उपभोग कनेक्शन – फलोदी – 2003	19
10. जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान – 1951 – 2023	27
11. व्यावसायिक संरचना – फलोदी – 2023	28
12. योजना परिक्षेत्र – फलोदी –2023	30
13. प्रस्तावित भू-उपयोग – फलोदी – 2023	33
14. प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्रों का विवरण फलोदी – 2023	36
15. शैक्षणिक संरचना – फलोदी – 2023	41
16. प्रस्तावित सड़कों का मार्गांधिकार – फलोदी – 2023	46

1

परिचय

परिचय

फलोदी शहर, जोधपुर जिले के उत्तर-पश्चिम में पठानकोट-काण्डला राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 15 एवं प्रान्तीय राज मार्ग संख्या 2 तथा जोधपुर-जैसलमेर रेल मार्ग पर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से यह जिले का दूसरा महत्वपूर्ण नगर एवं व्यावसायिक केन्द्र है जो जिले का उपखण्ड मुख्यालय के रूप में कार्यरत है। यह जिला मुख्यालय जोधपुर से लगभग 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। फलोदी में राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालय स्थापित हैं।

सन् 1460 में राव जोधाजी ने अपने पुत्र राव सूजा को फलोदी का शासक बनाकर भेजा। उस समय यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपयुक्त दुर्ग नहीं था। सन् 1469 में सिद्धूजी के सहयोग से दुर्ग की नींव रखी गयी, इस कार्य में फला नाम की महिला द्वारा धन उपलब्ध कराने से इसका नाम “फलाधी” रखा गया, जो कालान्तर में फलोदी के नाम से विख्यात हुआ।

फलोदी शहर अपनी धार्मिक महत्वता के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित भगवान कल्याणजी, लटियालजी, शांतिनाथजी एवं पाश्वनाथजी के मंदिर अति प्राचीन एवं दर्शनीय हैं। कल्याणजी का मंदिर संवत् 1236 से निर्मित है।

फलोदी शहर, सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा एवं पर्यटन स्थल जैसलमेर के मध्य स्थित होने तथा प्रवासी पक्षी कुरजां के आकर्षण स्थल खीचन, के समीप स्थित होने से यह नगर महत्वता प्राप्त करता जा रहा है।

फलोदी शहर नमक उत्पादन एवं व्यवसाय का एक प्रमुख केन्द्र है। शहर के आस-पास नमक उत्पादित क्षेत्रों के स्थापित होने से यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हुआ है एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन मिला है।

नगर के विकास एवं विस्तार के साथ-साथ यहाँ नगरीय समस्याएँ भी बढ़ने लगी हैं, जिसमें पानी की निकासी, यातायात अवरुद्धता, संकरे मार्ग आदि प्रमुख हैं। पुराने शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संकरे मार्ग एवं पार्किंग स्थल के अभाव में यातायात अवरुद्धता का होना, यहाँ की प्रमुख समस्या है।

वर्ष 1901 में यहाँ की जनसंख्या 13,924 थी, जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 44,842 हो गयी। इससे शहर की आधारभूत सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आजादी के पश्चात् यहाँ के विकास को एक नई दिशा मिली। इसी क्रम में यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं

विभिन्न राजकीय कार्यालयों की स्थापना हुई, तथा स्थानीय जनसमस्याओं के निवारण की दिशा में प्रयास हुए। स्थानीय स्तर पर नमक उत्पादन होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला।

शहर के बाहरी क्षेत्रों में अव्यवस्थित एवं अनियोजित बस्तियाँ विकसित हो जाने से इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ठोस कचरा प्रबंधन एवं जल—मल निस्तारण यहाँ की प्रमुख समस्याएँ हैं। इन नगरीय समस्याओं के निवारण तथा शहर के भावी विकास एवं विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता तथा सुनियोजित व संतुलित विकास हेतु यहाँ का मास्टर प्लान बनाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

यहाँ के तीव्र विकास के साथ ही विभिन्न नगरीय समस्याओं ने जन्म लिया, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त आवास सुविधा, यातायात वृद्धि से अत्यधिक यातायात दबाव, दूषित जल निकासी, अनियन्त्रित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना आदि प्रमुख हैं। आमजन को स्वास्थ्यप्रद जीवन एवं मूलभूत नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रथम आवश्यकता है। पुराने शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संकरे मार्ग होने एवं पार्किंग स्थलों के अभाव में यातायात अवरुद्धता की स्थिति बनी रहती है। शहर में पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है।

इन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए शहर के भावी विकास हेतु यह योजना तैयार की गयी है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.1.1999 को फलोदी नगर सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इस अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को अधिकृत किया गया। इस हेतु नगर नियोजन विभाग ने इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया तथा विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोतों से आवश्यक सूचनाओं का संकलन सम्बन्धी कार्य किया। वर्ष 2001 में फलोदी की जनसंख्या 44,842 थी। वर्ष 2003 को मास्टर प्लान का आधार वर्ष मानकर विभिन्न सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किये। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2023 तक नगर की जनसंख्या 1,10,000 हो जाने का अनुमान है। जिसके लिए 5573 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी। फलोदी नगरीय क्षेत्र को 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 28.01.1999 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में तैयार किये गये फलोदी के प्रारूप मास्टर प्लान को उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2007 को जनता की आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया। फलोदी के मास्टर प्लान प्रारूप पर 30 दिवस की निर्धारित समया अवधि में कुल 25 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुये हैं। ये आपत्तियाँ सुझाव अर्द्ध

राजकीय कार्यालयों, स्थानीय निकायों, समुहों एवं अधिकांशतः सामान्य जन से व्यक्तिगत प्राप्त हुये। प्राप्त 25 आपत्ति/सुझाव के अन्तर्गत कुल 34 आपत्ति/सुझाव दर्ज थे। जांच के उपरान्त 04 आपत्ति/सुझावों को स्वीकृत योग्य माना गया। इसके अतिरिक्त 05 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य नहीं माने गये, 25 आपत्ति/सुझावों में मास्टर प्लान स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई, जो की अधिकांशतः सामान्य प्रकृति के थे।

इस प्रकार स्वीकृत योग्य पाये गये आपत्ति/सुझाव के अनुसार भू-उपयोग योजना में संशोधन करते हुये फलौदी का मास्टर प्लान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(3) के अनुसरण में अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है। इसे उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


श्रीमति इन्दिरा चौधरी
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसचूना क्रमांक प.10(47)नविवि/3/98पार्ट जयपुर, दिनांक, 1 मई 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 4)

2

विद्यमान विशेषताएँ

2

विद्यमान विशेषताएँ

फलोदी शहर राज्य के पश्चिम दिशा में थार मरुस्थल में स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 एवं प्रान्तीय राज मार्ग संख्या 2 यहाँ से गुजरते हैं। यह नगर राज्य की राजधानी जयपुर से 481 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय जोधपुर से 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल जैसलमेर एवं जिला मुख्यालय जोधपुर को जोड़ने वाले रेलमार्ग पर स्थित है, उक्त नगर को हाल ही में कोलायत से रेलमार्ग द्वारा जोड़ा गया है। पूर्व रियासत मारवाड़ प्रान्त के पश्चिम में स्थित फलोदी शहर भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह जोधपुर, नागौर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिला मुख्यालय से लगभग समान दूरी पर स्थित है। नमक उद्योग यहाँ का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जिसमें लगभग 2000 श्रमिक कार्यरत हैं।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु –

फलोदी नगर $27^{\circ}06'$ से $27^{\circ}09'$ उत्तरी अक्षांश एवं $27^{\circ}20'$ से $27^{\circ}23'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। यह नगर पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। नगर का पृष्ठ क्षेत्र नमक उत्पादन एवं कृषि सम्बन्धित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

यहाँ की जलवायु गर्म एवं अर्द्ध शुष्क है, ग्रीष्मऋतु में यहाँ की आपेक्षित आर्द्रता सुबह व शाम के मध्य औसतन 10 से 35 प्रतिशत, वर्षा ऋतु में 40 से 90 प्रतिशत तथा शीत ऋतु में 30 से 70 प्रतिशत के मध्य रहती है। मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से.ग्रे. या इससे अधिक भी हो जाता है, जो माह मार्च से जुलाई तक रहता है। सामान्यतया सर्दी का मौसम दिसम्बर से फरवरी माह तक रहता है,

उस समय यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड तक हो जाता है । यहाँ की सामान्य औसत वर्षा 320 मि.मी. तक होती है ।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य –

फलोदी शहर की भौगोलिक स्थिति विशिष्ट रही है । यह जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर जिला मुख्यालयों से लगभग समान दूरी पर स्थित है । फलोदी शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित होने एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना तथा समीपीय क्षेत्र में नमक उद्योग विकसित होने से इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है । फलोदी शहर के समीप स्थित खीचन गांव में प्रवासी पक्षी कुरजां के प्रवास के कारण भी पक्षी प्रेमीयों, एवं पर्यावरणविदों के लिये यह स्थल आकर्षण का केन्द्र है । जहाँ पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं । जिनमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है ।

2.3 ऐतिहासिक –

सन् 1469 में राव सूजा द्वारा दुर्ग की नींव कार्य में फला नाम की महिला द्वारा धन उपलब्ध कराने के कारण इसका नाम “फलाधी” रखा गया, जो कि कालांतर में फलोदी के नाम से विख्यात हुआ । सन् 1470 में राव नरा द्वारा किले के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया । सन् 1495 में राव नरा के युद्ध में मारे जाने के पश्चात् राव सूजा द्वारा राव हमीर को फलोदी का शासक नियुक्त किया गया । राव हमीर के शासन काल सन् 1495 से 1532 (अर्थात् 37 वर्षों की अवधि) में काफी विकास कार्य हुए, जो फलोदी के विकास का “स्वर्ण युग” कहलाता था । इस अवधि में यहाँ भव्य राज प्रासाद, रावरा तालाब, राणीसर तालाब एवं कई कलात्मक ईमारतों का निर्माण हुआ ।

यहाँ स्थित भगवान कल्याण राव जी का मन्दिर सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसका निर्माण संवत् 1236 में किया गया । नगर के अन्य प्राचीन मन्दिरों में प्रसिद्ध लटियाल देवी का मन्दिर प्रमुख है । इसका संचालन पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है । अन्य दर्शनीय मन्दिरों में भगवान सत्यनारायणजी, शान्तिनाथजी, एवं पाश्वनाथ जी आदि के मन्दिर प्रमुख हैं ।

संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम फल वृद्धिका और विजयपुर के नाम से वर्णित है, कहा जाता है कि यह नगर राव सूजा के पुत्र नरा ने बसाया था। सन् 1547 के लगभग राव मालदेव राठौड़ ने छल करके डूँगरसी के हाथ से इसे छीन लिया और लगभग 15 वर्ष तक उसके द्वारा शासन किया गया। बाद में यह जैसलमेर के राव हरराज के पुत्र भाखरसी के अधिकार में चला गया। तत्पश्चात् सन् 1578 में बादशाह अकबर ने इसे बीकानेर के राजा रायसिंह के अधिकार में कर दिया। उसके राज्य में यहाँ शान्ति और समृद्धि रही। सन् 1615 में जहाँगीर ने इसे जोधपुर के राजा सूरसिंह के अधिकार में दे दिया। तब से यह तत्कालीन जोधपुर रियासत के अन्तर्गत रहा। स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान राज्य में यह जोधपुर जिले का एक तहसील मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय है।

यहाँ के प्राचीन स्थलों में किला, लटियाल माता का मन्दिर, कल्याणराव और शान्तिनाथ जी के मन्दिर, दर्शनीय और उल्लेखनीय हैं। यहाँ का किला राठौड़ राव हम्मीर नरावत (राव सूजा के पौत्र) ने पोकरण से आकर विक्रम संवत् 1545 में (सन् 1488) में बनवाया था। यहाँ स्थित लटियाल माता की मूर्ति की स्थापना संवत् 1515 (सन् 1458) में हुई। फलोदी शहर के राणीसर तालाब के किनारे कीर्ति स्तम्भ पर विक्रम संवत् 1589 का आलेख है।

रियासत काल में यह नगर जोधपुर रियासत के अधीन एक जिला मुख्यालय था। यह नगर नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर दिशा में 16 कि.मी. की दूरी पर नमक की झील स्थित है। सन् 1878 में तत्कालीन सरकार द्वारा इस झील को नमक उत्पादन हेतु लीज पर लिया जिसमें सन् 1892 तक उत्पादन जारी रहा। तत्पश्चात् यहाँ का उत्पादन कार्य सरकार को अलाभप्रद लगने पर इसे बन्द कर दिया गया।

वर्तमान में इस उद्योग में स्थानीय व्यवसायी भली भाँति जुड़ जाने से यहाँ नमक उत्पादन कार्य जारी है तथा यह अनेक लोगों के जीविकोपार्जन का साधन बन गया है। यहाँ का उत्पादित नमक, देश के विभिन्न भागों में रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा भेजा जाता है।

2.4 जनांकिकी –

सन् 1901 में कस्बे की जनसंख्या 13,924 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 44842 हो गयी। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1911, 1921, एवं 1951 में

यहाँ की जनसंख्या में घटोतरी रही है, जिसके कारणों में यहाँ प्राकृतिक आपदाएँ, अकाल, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि होना रहा है। वर्ष 1971 – 81 में इसकी जनसंख्या में 64.22 प्रतिशत वृद्धि दर रही है, जिसके प्रमुख कारण यहाँ नमक उद्योग का विकास एवं विस्तार, कृषि क्षेत्र में विकास, राजकीय कार्यालयों की स्थापना, (जिसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रमुख है) आदि से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होना है। इन सभी गतिविधियों से यहाँ के विकास एवं विस्तार को एक नई दिशा एवं गति मिली है। फलोदी शहर की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को निम्न तालिका संख्या –1 में दर्शाया गया है :—

तालिका–1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति – फलोदी, 1901 – 2001

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत
1.	1901	13,924	—	—
2.	1911	13,825	— 99	— 0.71
3.	1921	12,801	— 1024	— 7.41
4.	1931	14,982	+ 2181	+ 17.04
5.	1941	17,689	+ 2707	+ 18.07
6.	1951	15,224	— 2465	— 13.94
7.	1961	15,722	+ 498	+ 3.27
8.	1971	17,379	+ 657	+ 10.54
9.	1981	28,539	+ 11160	+ 64.22
10.	1991	39,286	+ 10747	+ 37.66
11.	2001	44,842	+ 5556	+ 14.14

स्रोत: भारतीय जनगणना।

2.5 व्यावसायिक संरचना –

वर्ष 1991 में फलोदी नगर की कार्यशील जनसंख्या की भागीदारी का अनुपात लगभग 24 प्रतिशत था। कुल कामगारों का 24.50 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में तथा 19.12

प्रतिशत कामगार उद्योग क्षेत्र में कार्यरत थे। कृषि एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र में 12.40 प्रतिशत कामगार तथा 27.14 प्रतिशत कामगार अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। जनगणना 1991 में वर्गीकृत व्यवसाय के अनुसार आँकड़े उपलब्ध हैं, परन्तु वर्ष 2001 की जनगणना में व्यवसाय के अनुसार आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुमानित किया गया है। तालिका संख्या – 2 में वर्ष 1991 एवं 2001 की तुलनात्मक व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है :–

तालिका–2

व्यावसायिक संरचना, फलोदी, 1991 एवं 2001

क्र.सं.	व्यवसाय	1991		2001	
		व्यक्ति	काम वालों का प्रतिशत	व्यक्ति	काम वालों का प्रतिशत
1.	कृषि एवं इससे सम्बन्धित	1,170	12.40	1,323	10.50
2.	उद्योग	1,809	19.12	2,457	19.50
3.	निर्माण	1,024	10.82	1,386	11.00
4.	व्यापार एंव वाणिज्य	2,317	24.50	3,150	25.00
5.	परिवहन एवं सचार	570	06.02	819	6.50
6.	अन्य सेवाएँ	2,570	27.14	3465	27.00
		9,460	100.00	12,600	100.00

स्रोत: भारतीय जनगणना, 1991 एवं 2001 तथा विभागीय अनुमान ।

2.6 विद्यमान भू-उपयोग –

नगर नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में भू-उपयोग सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार कुल नगरीयकृत क्षेत्र 2140 एकड़ है। इसमें से लगभग 322 एकड़ खुला क्षेत्र, तालाब एवं जल के अन्तर्गत 55 एकड़ तथा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 20 एकड़ है। कुल विकसित क्षेत्र 1560 एकड़ है। इसमें से 830 एकड़ का आवासीय उपयोग हो रहा है, जो कि विकसित क्षेत्र का 53.20 प्रतिशत है। व्यावसायिक गतिविधियों में 130 एकड़ क्षेत्र है जो कि विकसित क्षेत्र का 8.33 प्रतिशत है। व्यावसायिक क्षेत्र पुराने शहर, स्टेशन रोड़ व जोधपुर मार्ग पर स्थित है। औद्योगिक उपयोग में 60 एकड़ क्षेत्र है जो कि विकसित क्षेत्र का 3.85 प्रतिशत है। नमक

उद्योग यहां का प्रमुख उद्योग है। परन्तु नमक उत्पादन क्षेत्र नगर से दूर होने के कारण भू-उपयोग विश्लेषण में वह सम्मिलित नहीं होता है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी उपयोग के अंतर्गत 62 एकड़, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग में 180 एकड़ तथा आमोद प्रमोद के अन्तर्गत 100 एकड़ क्षेत्र है। शहर का फैलाव चहमुंखी होने के कारण परिवहन उपयोग हेतु 198 एकड़ है, जो कि विकसित क्षेत्र का 12.69 प्रतिशत है। तालिका संख्या 3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2003 को दर्शाया गया है।

तालिका-3

विद्यमान भू-उपयोग, फलोदी – 2003

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का नगरीयकृत प्रतिशत	क्षेत्र का
1.	आवासीय	830.00	53.20	38.79
2.	व्यावसायिक	130.00	8.33	6.07
3.	औद्योगिक	60.00	3.85	2.80
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	62.00	3.97	2.90
5.	आमोद-प्रमोद	100.00	6.42	4.67
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	180.00	11.54	8.42
7.	परिसंचरण	198.00	12.69	9.25
विकसित क्षेत्र		1560.00	100.00	
8.	खुला क्षेत्र	322.00		15.05
9.	तालाब एवं जल क्षेत्र	55.00		2.57
10.	कृषि क्षेत्र	20.00		0.93
11.	हवाई पट्टी	177.00		8.27
12.	नर्सरी	6.00		0.28
नगरीयकृत क्षेत्र		2140.00		100.00

स्रोतः नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण।

2.6(1) आवासीय –

फलोदी शहर में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत कुल 830 एकड़ क्षेत्र है, जो कि विकसित क्षेत्र का 53.20 प्रतिशत है। पुरानी आबादी वाला क्षेत्र सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ का घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने शहर से लगते हुए एवं

बाहरी क्षेत्र में विकसित आवासीय क्षेत्रों का प्रति एकड़ घनत्व अपेक्षाकृत कम है जो कि लगभग 50 से 100 व्यक्ति प्रति एकड़ है। बाहरी क्षेत्रों में बसी कॉलोनियों जैसे, आदर्श नगर, बापू नगर इत्यादि पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण यह क्षेत्र कम घनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। शहर के पूर्व दिशा में स्थित इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कॉलोनी भी कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। शहर का सकल आवासीय जनसंख्या घनत्व लगभग 55 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

शहर के पुराने क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई बहुत ही कम है, जो कि लगभग 10 से 20 फुट के मध्य है। शहर के भीतरी भागों में स्थित अधिकांश भवन दो मंजिले हैं।

2.6(1) अ आवासन –

फलोदी कस्बे में राजकीय आवास एवं सिंचित क्षेत्र इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आवास बने हुए हैं तथा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सुविधा के लिए आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है। फलोदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास इन्दिरा गांधी परियोजना का भी विश्राम गृह बना हुआ है।

2.6(1) ब कच्ची बस्तियां –

शहर के विभिन्न भागों में लगभग 11 कच्ची बस्तियां स्थित हैं। इनमें इंद्रा कॉलोनी, संजय नगर, मालियों का बास, बरकत कॉलोनी, कुदरतियाँ कॉलोनी, हरिजन बस्ती एवं मेघवाल बस्ती आदि प्रमुख हैं। शहर के अन्य आबादी वाले क्षेत्रों की अपेक्षाकृत इनमें अधिक घनत्व है। इन कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पर्यावरण एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। नगर पालिका द्वारा इनमें विकास कार्य कराये जाते हैं। नगर के सौंदर्यकरण के लिये यह आवश्यक है कि भविष्य में और कच्ची बस्तियां नहीं बसे, इसके लिये प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता व्यवस्था के साथ साथ नियोजित विकास किया जाना अपेक्षित है।

2.6(2) व्यावसायिक –

फलोदी शहर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर एवं बीकानेर चार जिला मुख्यालयों से करीब–करीब समान दूरी पर स्थित होने से इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह व्यावसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। जो क्षेत्र का सेवा एवं व्यावसायिक केन्द्र के रूप में विकसित है। शहर का भीतरी क्षेत्र थोक एवं फुटकर व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल है। यहाँ के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सदर बाजार एवं नया बाजार प्रमुख हैं। यह क्षेत्र प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का क्षेत्र होने से यहाँ यातायात का अधिक दबाव रहता है। फलस्वरूप यहाँ कभी कभी यातायात अवरुद्धता की स्थिति बन जाती है। इस क्षेत्र में स्थित मार्गों की चौड़ाई औसतन 10 से 20 फीट के मध्य है। इन क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों का प्रायः अभाव है।

विभिन्न अनाजों का थोक व्यापार डेयरी के समीप स्थित कृषि उपज मण्डी में होता है। कस्बे के आवासीय क्षेत्रों में संगठित व्यावसायिक केन्द्रों का अभाव है। जिससे व्यावसायिक गतिविधियां अव्यवस्थित रूप से फैली हुई हैं। व्यावसायिक भू–उपयोग कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 130 एकड़ अर्थात् 8.33 प्रतिशत है।

2.6(3) औद्योगिक –

फलोदी शहर में कई लघु औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं। औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत लगभग 60 एकड़ भूमि स्थित है जो कि शहर के कुल विकसित क्षेत्र का 3.85 प्रतिशत है। नमक उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित उद्योग यहाँ स्थापित इकाईयों में सबसे प्रमुख है। यहाँ स्थित लगभग 1,126 औद्योगिक इकाईयों में से 820 इकाईयां नमक उत्पादन, पिसाई एवं इससे सम्बन्धित हैं। यहाँ नमक विपणन का कार्य प्रमुख रूप से होता है, जिसे रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 2,689 श्रमिक कार्यरत हैं। इसमें से लगभग 2,000 श्रमिक नमक से सम्बन्धित ईकाइयों में कार्यरत हैं। नमक व्यवसाय से संबंधित औद्योगिक इकाईयाँ मुख्य रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, शहर के दक्षिण भाग में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 15 एवं

जोधपुर—फलोदी मार्ग के मध्य स्थित हैं। नमक उद्योग ने शहर के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। तालिका संख्या 4 में पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को दर्शाया गया है :—

तालिका – 4
औद्योगिक संरचना – फलोदी 2003

क्र.सं.	उद्योगों के प्रकार	उद्योगों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1.	लघु नमक उत्पाद एवं प्रोसेसिंग इकाईयां	820	2,070
2.	ग्वारगम	3	20
3.	तेल मिल	2	4
4.	दाल मिल	2	8
5.	मगज तेल उत्पादक	2	8
6.	कनफेक्सरी	2	10
7.	लकड़ी के फर्नीचर	12	31
8.	लघु स्तर सेवा इकाईयां	283	538
	कुल	1,126	2,689

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, फलोदी

2.6(4) राजकीय –

2.6(4)अ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय –

फलोदी शहर, जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। यहाँ कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं। वर्तमान में यहाँ लगभग 59 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं, इसमें लगभग 2002 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में इस प्रयोजन हेतु 62 एकड़ भूमि उपलब्ध है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 3.97 प्रतिशत हैं। नगर के पूर्वी भाग में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी स्थापित है। हाल ही में नये बस स्टेण्ड के पास स्थित पंचायत समिति कार्यालय के समीप दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किया गया है। शहर में स्थापित प्रमुख राजकीय कार्यालयों में जलदाय, विद्युत, नगर पालिका, तहसील, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आदि है। तालिका संख्या – 5 में विभिन्न कार्यालयों तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है –

तालिका – 5

सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, फलोदी – 2003

क्र.सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	राज्य सरकार के कार्यालय	43		1,564
2.	राज्य के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	2		170
3.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	7		210
4.	केन्द्र के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	1		2
5.	बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएँ	6		56
	कुल	59		2,002

स्रोत: विभागीय सर्वेक्षण।

2.6(5) आमोद–प्रमोद –

2.6(5) (अ) उद्यान एवं खुले स्थल –

पर्यावरण संतुलन तथा स्वस्थ वातावरण के लिए पार्क एवं खुले स्थलों का अद्वितीय महत्व है। स्वास्थ्य ही मनुष्य की अमूल्य निधि है। स्वस्थ जीवन के लिए ये स्थल महत्वपूर्ण हैं। फलोदी, जिले का एक महत्वपूर्ण नगर होते हुए भी इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिये नियोजित पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है। नगर में मेजर शेतानसिंह नामक स्टेडियम है। फलोदी शहर में डॉ. जगदीश चंद्र बसु एवं दीनदयाल बालोद्यान दो प्रमुख उद्यान हैं। नई विकसित आवासीय बस्तियों में विकसित पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है। वर्तमान में शहर में नगरीय स्तर का कोई पार्क विकसित नहीं हुआ है। पार्क एवं खुले स्थलों के अन्तर्गत यहाँ कुल 100 एकड़ भूमि है जो नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 6.42 प्रतिशत है।

2.6(5) (ब) स्टेडियम एवं खेल मैदान –

सार्वजनिक रूप से शहर में टेलीफोन एक्सचेंज के समीप बापू नगर में निर्माणाधीन मेजर शेतान सिंह स्टेडियम मैदान की चार दीवारी ही निर्मित हुई है, जो कि शहर का एक मात्र स्टेडियम एवं खुला मैदान है। इसमें खेलकूद के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 40.5 एकड़ है।

2.6(5) (स) मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ –

फलोदी नगर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। रामदेवरा का सुप्रसिद्ध मंदिर मात्र 50 कि.मी. दूरी पर स्थित है। नगर के स्थानीय मेले, लटियाल माता मंदिर के पीछे स्थित खुले मैदान एवं स्टेडियम मैदान में आयोजित किये जाते हैं। पदम सिंह जी के थडे के पास पशु मेले का आयोजन किया जाता है। प्रवासी पक्षी कुरजां के लिये प्रसिद्ध स्थल खीचन 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इन स्थानों पर स्थानीय निवासियों, स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों का भी आवागमन रहता है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अद्व्युत् सार्वजनिक –

फलोदी में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास नहीं हुआ है। इस श्रेणी में मुख्यतः सामुदायिक सुविधाएं, अन्य सामुदायिक सुविधाएं एवं जन उपयोगी सुविधाएं आती हैं इस उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 180 एकड़ भूमि स्थित है, जो विकसित क्षेत्र का 11.54 प्रतिशत है।

2.6 (6)अ शैक्षणिक –

फलोदी शहर में विद्यालय, महाविद्यालय व तकनीकी स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वर्तमान में फलोदी में एक महाविद्यालय, दो सीनियर माध्यमिक विद्यालय, तीन माध्यमिक विद्यालय, सोलह उच्च प्राथमिक एवं नौ प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, इनमें से तकनीकी शिक्षा हेतु एक आई.टी.आई.संस्था भी है। इन शिक्षण संस्थानों में कुल 11,253 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शहर की शैक्षणिक संरचना को तालिका संख्या – 6 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 6
शैक्षणिक संरचना – फलोदी – 2003

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	3 – 10	9	1,138
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11 – 13	16	6,092
3.	माध्यमिक विद्यालय	14 – 15	3	1,622
4.	सीनियर माध्यमिक विद्यालय	16 – 17	2	1,993
5.	आई.टी.आई.	16 – 17	1	49
6.	महाविद्यालय	19 – 23	1	359
कुल			32	11,253

स्रोत: शिक्षा विभाग

2.6 (6)ब चिकित्सा –

चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत शहर में एक 50 शैय्याओं का राजकीय चिकित्सालय है जो शहर वासियों तथा आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। यह स्टेशन रोड के पास शहर के लगभग मध्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त शहर में एक राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल तथा तीन निजी विलनिक संचालित हैं। शहर की जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। तालिका संख्या – 7 में शहर में संचालित चिकित्सा सुविधाओं को दर्शाया गया है :

तालिका – 7

चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, फलोदी – 2003

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम	चिकित्सालयों की संख्या	शैय्याओं की संख्या
1.	राजकीय चिकित्सालय	1	50
2.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	—
3.	निजी विलनिक	3	—
कुल		5	50

स्रोत: विभागीय, सर्वेक्षण।

2.6 (6)स सामाजिक / सांस्कृतिक –

शहर में स्थित लटियाल माता के मंदिर परिसर में नवरात्रि दिनों में मेला लगता है। स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नगर पालिका परिसर में टाउन हॉल निर्मित है। शहर के अन्य प्रमुख धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय स्टेडियम मैदान में आयोजित किये जाते हैं।

2.6 (6)द धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल –

फलोदी शहर धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित 14 वीं एवं 15 वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर कलात्मक कार्यों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों में किला, कल्याण रावजी का मंदिर, लटियालजी का मंदिर एवं शान्तिनाथजी का मंदिर प्रमुख है। प्राचीन धरोहर स्थलों में यहाँ स्थित हवेलियां जिनमें ढढ़ठों की हवेली, सांगीदास की हवेली तथा ढूंठीया व्यासों की हवेली आदि प्रमुख हैं।

2.6 (6)य अन्य सामुदायिक सुविधाएं –

फलोदी शहर में मनोरंजन के सीमित साधन उपलब्ध हैं। यहाँ आमजन के मनोरंजन हेतु दो सिनेमा गृह स्थित हैं, जिसमें से एक शहर के भीतरी क्षेत्र में लटियाल टॉकीज के नाम से तथा दूसरा शहर के बाहरी क्षेत्र में आदर्श नगर आवासीय योजना के समीप एम.के. सिनेमा के नाम से स्थित है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका परिसर में सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगरपालिका एवं स्वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा एक वाचनालय संचालित हैं। नगरपालिका भवन के समीप ही टाउन हॉल एवं राजकीय डाक बंगला स्थित है। रेल्वे स्टेशन के समीप धर्मशाला एवं निजी विश्राम गृह स्थित हैं। शहर में अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत कानून व्यवस्था हेतु एक पुलिस स्टेशन है। नगर में दूरभाष केन्द्र, तार एवं डाकघर आदि प्रमुख जनसुविधाएँ उपलब्ध हैं।

2.6 (6) र जनोपयोगी सुविधाएँ –

2.6 (6) र (i) जलापूर्ति –

शहर में जलापूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है। जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत शहर तथा इसके आस पास के क्षेत्रों में स्थित 17 नलकूप हैं। जहां से पम्प द्वारा शहर में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उच्च जलाशयों तक जल पहुँचाया जाता है। उच्च जलाशयों से विभिन्न पाईप लाईनों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है। इन नलकूपों से लगभग 18,000 लीटर जल प्रति घंटा आपूर्ति होती है। शहर की वर्तमान जल मांग लगभग 5,200 के.एल.डी. हैं, जबकि लगभग 4,500 के.एल.डी. जल की ही आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में शहर में कुल चार शुद्ध जल भण्डारण स्थल (सी.डब्ल्यू.आर.) तथा चार आपूर्ति जलाशय (एस.आर.) स्थित हैं। इनके अतिरिक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 सार्वजनिक नल लगे हुए हैं। घरेलू उपयोग के अन्तर्गत जल का अधिक उपयोग होता है। शहर में जलदाय विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपयोगों हेतु लगभग 5170 जल कनेक्शन किये हुए हैं।

शहर में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत आने वाले जल कनेक्शनों को तालिका संख्या – 8 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 8

जल संबंधों के प्रकार एवं संख्या – फलोदी – 2003

क्र.सं.	जल संबंध का प्रकार	जल सम्बन्धों की संख्या
1.	घरेलू	4,800
2.	वाणिज्यिक	220
3.	औद्योगिक (होटल इत्यादि)	150
	कुल	5,170

स्रोत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

2.6(6)र(ii) मल–जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन –

फलोदी नगर में सीवरेज व्यवस्था नहीं होने से यहाँ अधिकांशतः गन्दा पानी खुली नालियों में प्रवाहित होता है। सीमित क्षमता वाली नालियों एवं रख रखाव के अभाव के, कारण प्रायः गन्दा पानी सड़कों पर फैल जाता है। शहर का ढलान उत्तर दिशा की तरफ होने से सभी आवासीय कॉलोनियों के गन्दे पानी की निकासी नगर पालिका द्वारा निर्मित नाले एवं अन्य नालियों के माध्यम से शहर के उत्तर में स्थित मालियों की बस्ती के समीप खादिन तालाब क्षेत्र के आस–पास खुले क्षेत्र में की जाती हैं। इससे आस पास का पर्यावरण दूषित होता है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में विकसित नई आवासीय कॉलोनियों के मल–जल का निस्तारण निवासियों द्वारा निर्मित निजी शोकपिटों में किया जाता है। कच्ची बस्तियों में नाली व्यवस्था के अभाव में निवासियों द्वारा अनुपयोगी पानी को सीधे सड़कों पर बहा दिये जाने से गन्दा पानी सड़कों पर फैल जाता है। विशेषकर वर्षा के दिनों में इन कच्ची बस्तियों में पानी के निकासी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। अतः दूषित पानी के बहाव हेतु उचित निकासी प्रणाली की महती आवश्यकता है।

आवासीय बस्तियों के कूड़ा–करकट निष्पादन हेतु कस्बे में कोई उपयुक्त स्थल नहीं हैं। एकत्रित कचरे को नगरपालिका के सफाई कर्मियों द्वारा रामदेवरा रोड़ एवं मलार रोड़ के सहरे स्थित खुली भूमियों पर खुले रूप में डाला जाता है। अतः ठोस कचरा निस्तारण के लिए उपयुक्त ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए भूमि की आवश्यकता है।

2.6 (6) र (iii) विद्युत –

फलोदी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित की जाती है। शहर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य स्रोत फलोदी के उत्तर दिशा में स्थित राजस्व गांव मोहरा में 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्थित है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित विद्युत लाइनें पुरानी हो जाने से इनके रख रखाव की आवश्यकता है। शहर में विभिन्न उपयोगों में आने वाले विद्युत कनेक्शनों की संख्या 16,617 तथा सड़कों पर विद्युत पार्इन्टों की संख्या लगभग 800 है।

वर्तमान में शहर में विद्युत सम्बन्धों को तालिका संख्या – 9 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 9

विद्युत उपयोग संबंध – फलोदी – 2003

क्र.सं.	उपयोग का प्रकार	विद्युत कनेक्शन संख्या
1.	घरेलू	13,104
2.	वाणिज्यिक	1,772
3.	कृषि से संबंधित	613
4.	अन्य	1,128
	योग	16,617

स्रोतः विद्युत वितरण निगम, फलोदी।

2.6 (6) ल श्मशान एवं कब्रिस्तान –

फलोदी शहर में वर्तमान में हिन्दुओं के मुख्य श्मशान स्थल ब्रह्मबाग, मलार रोड़, इंद्रा कॉलोनी एवं संजय नगर के समीप स्थित हैं। मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान बरकत कॉलोनी एवं हरिजन बस्ती क्षेत्र में स्थित हैं।

2.6 (7) परिसंचरण –

2.6 (7) अ यातायात व्यवस्था –

शहर के पुराने क्षेत्र में गली एवं सड़कें सँकड़ी एवं कम चौड़ी होने से प्रायः यातायात अवरुद्धता की स्थिति बनी रहती हैं। भीतरी भाग (सघन आबादी घनत्व) वाला क्षेत्र होने से यहाँ स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण भी यहाँ यातायात दबाव एवं अवरुद्धता की समस्या प्रमुख हैं। शहर के भीतरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। यातायात दबाव के प्रमुख क्षेत्रों में – सदर बाजार, स्टेशन रोड़ क्षेत्र, शहर का भीतरी क्षेत्र प्रमुख हैं। यहाँ स्थित मार्गों की औसत चौड़ाई 10 से 20 फुट के मध्य हैं, जो कि व्यवसाय में प्रयुक्त वाहनों की संख्या की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। बाहरी क्षेत्रों के मार्ग अपेक्षाकृत चौड़े हैं। परिसंचरण के

अंतर्गत लगभग 198 एकड़ क्षेत्र आता हैं, जो कि विकसित क्षेत्र का 12.69 प्रतिशत है।

2.6 (7) ब बस तथा ट्रक टर्मिनल –

शहर में बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए नया बस स्टेण्ड, दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र के समीप बनाया गया है। यहाँ से राजस्थान राज्य पथ – परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन लगभग 70 बसों संचालित की जाती है तथा लगभग 50 निजी बसों प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर संचालित होती हैं। चिन्हित पार्किंग स्थल न होने से निजी बसों की पार्किंग प्रायः मुख्य सड़कों के सहारे की जाती है, जिससे यातायात में व्यवधान होता है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, नगर की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, किन्तु शहर में नियोजित ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने से वर्तमान में ओसवाल न्याती नोहरे के समीप कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ संचालित हैं। ट्रकों की पार्किंग सड़कों के सहारे की जाती है तथा माल लदान का कार्य भी इन्हीं सड़कों के सहारे होता है जिससे यातायात प्रभावित होता है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 60 ट्रकों द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए माल की ढुलाई की जाती है। आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत नागौर मार्ग पर एक नियोजित यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है।

2.6 (7) स रेल एवं हवाई सेवा –

जोधपुर–जैसलमेर को जोड़ने वाला रेल मार्ग फलोदी से होकर गुजरता है, हाल ही में फलोदी को कोलायत से बड़ी रेलवे लाईन से जोड़ा गया है। यहाँ से प्रतिदिन चार सवारी गाड़िया गुजरती हैं। जोधपुर मार्ग पर आई.टी.आई. कॉलेज के पूर्व की ओर हवाई–पट्टी का निर्माण होने से अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन से शहर के परिवहन महत्व में क्रमोत्तर वृद्धि हुई हैं।

3

नियोजन की संकल्पना

3

नियोजन की संकल्पना

किसी एक नगर की संकल्पना में वहाँ के निवासियों की संस्कृति एवं रीति रिवाजों का प्रतिबिम्ब दृष्टिगत होता है। नगर अनवरत विकास की एक श्रेणी है। प्राचीन काल से मानव अपनी सुरक्षा, विभिन्न सेवाओं के आदान-प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं जैसे, धार्मिक पूजा-पाठ एवं सामाजिक क्रियाकलापों आदि के लिये समूहों में रहता आया है। इन सभी पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरों की संरचना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नगर का भौतिक स्वरूप एवं इसकी संरचना, इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नगरवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

समय समय पर नगरीय संरचना के स्वरूप में परिवर्तन होता आया है। मध्यकाल के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। अतः इस तरह शहरों का विकास सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जल स्त्रोतों के आस-पास तथा ऊँची पहाड़ियों के मध्य होना प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात् ये प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शिक्षा आदि के केन्द्र बने। यहाँ आर्थिक गतिविधियों जैसे, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य तथा यातायात इत्यादि का निरन्तर विकास होता रहा। इससे लोगों के रोजगार के अवसरों में त्वरित वृद्धि हुई। लेकिन साथ ही यहाँ के निवासियों को यातायात अवरुद्धता, खुले स्थलों की कमी एवं अनाधिकृत एवं अनियोजित विकास इत्यादि समस्याओं से रुबरु होना पड़ रहा है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् से सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप देश में लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का तेजी से विकास हुआ है जिनमें फलोदी शहर भी एक है। यहाँ बढ़ती औद्योगिक, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए भावी विकास को दिशा-निर्देश प्रदान करना आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किये जाने की आवश्यकता है। जिसमें भू

उपयोग योजना एवं भविष्य के विकास को चित्रित किया जाता है। इसे प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र कहा जाता है।

शहर के सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिये उपलब्ध भूमि का भिन्न-भिन्न उपयोग दर्शाकर यहाँ के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता हैं, इससे भूमि का सदुपयोग अधिक से अधिक होता हैं। योजनाएँ, विभिन्न भू-उपयोगों को तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकित करने की एक प्रक्रिया है, जो कि उसके भविष्य के आकार, वृद्धि की गति एवं विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। नगर की योजना भविष्य में होने वाले सुनियोजित विकास में एक मार्ग दर्शक का कार्य करती है। इसकी वर्तमान समस्याओं को दीर्घकालीन समय में कम करने का प्रयास करती है। मास्टर प्लान तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य मानव समुदाय की सम्पूर्ण भू-आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए नगरीय क्षेत्र के सन्तुलित एवं समन्वित विकास को ध्यान में रखना है। मास्टर प्लान आवश्यक रूप से नगर की वर्तमान परिस्थितियों, नियोजन नीतियों, उद्देश्यों तथा भू-उपयोग योजना मानचित्र का एक लिखित दस्तावेज है जो शहर के भावी सुनियोजित विकास के क्रियान्वयन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। फलोदी शहर के मास्टर प्लान के प्रस्ताव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणों के आधार पर तैयार किये गये हैं। नियोजन की नीतियों को इस मास्टर प्लान के अन्तर्गत दृष्टिगत रखा गया हैं उपरोक्त वर्णित सभी चरणों का फलोदी नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को तैयार करते समय अनुसरण किया गया है।

3.1 नियोजन की नीतियां

फलोदी शहर जोधपुर जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। इसकी विशिष्ट भौतिक स्थिति के कारण उत्तर-पश्चिमी राजस्थान का यह तेजी से बढ़ता हुआ एक व्यावसायिक कस्बा है। यहाँ नमक उत्पादन की प्रमुखता के कारण कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, जिससे यहाँ का औद्योगिक महत्व भी बढ़ा है। अपने तीव्र विकास के कारण फलोदी निरन्तर विभिन्न भागों में उसके प्रवासियों को आकर्षित करता रहेगा। आस-पास की विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय केन्द्र होने से भविष्य में भी फलोदी इस क्षेत्र

का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बना रहेगा साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं को भी उपलब्ध कराता रहेगा।

उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण फलोदी शहर भविष्य में भी प्रशासनिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा। फलोदी नगर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं नागौर जिले के मध्य लगभग समान दूरी पर स्थित होने से जिला मुख्यालय बनाये जाने की प्रबल सम्भावनाएँ है, उक्त नगर में प्रशासनिक कार्यालय भवन बनाये जाने हेतु पर्याप्त आकार की भूमि जोधपुर सड़क पर प्रस्तावित की गयी है, तथा पुलिस लाईन हेतु भी भूमि का आरक्षण किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में फलोदी को भविष्य में मुख्य रूप से प्रशासनिक केन्द्र के साथ साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में भी देखा जा सकेगा। नगरवासियों को स्वस्थ एवं लाभप्रद जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहर के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करना ही मास्टर प्लान की नियोजन नीतियाँ हैं।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

फलोदी शहर का मास्टर प्लान वर्ष 2003 – 2023 हेतु तैयार करने के लिए विभिन्न ऑकड़ों का संकलन एवं विद्यमान भू-उपयोगों के सर्वेक्षण के पश्चात् उनके व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर फलोदी शहर के भावी एवं सुनियोजित विकास हेतु निम्नांकित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा गया है।

1. नये क्षेत्रों के विकास के समय शहर की पुरानी एवं नई बसावट के मध्य समुचित सामन्जस्य बनाये रखा जावेगा। भू उपयोग का निर्धारण इस तरह से किया जायेगा जिससे विभिन्न नगरीय गतिविधियों में सामन्जस्य स्थापित किया जा सके। समूचे नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर की सुविधाओं एवं आमोद-प्रमोद की समुचित सुविधाएँ क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध हो सके।

2. वाणिज्यिक गतिविधियों को तर्क संगत तरीके से वर्गीकृत किया जायेगा, जिससे की शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में आवागमन के दबाव को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में शहर के प्रत्येक परिक्षेत्र में प्रस्तावित स्थलों पर व्यावसायिक केन्द्र विकसित किये जाने चाहिए

ताकि क्षेत्रीय वासियों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएँ उपलब्ध हो सके । थोक व्यापार की गतिविधियों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर प्रस्तावित किया जायें ।

3. नमक उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योग के मद्देनजर औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त स्थलों को दर्शाया जाये, जिन्हें योजना में समुचित तरीके से नियोजित किया जाय । विभिन्न स्थलों का चयन उनकी आवश्यकता, हवा की दिशा एवं पर्यावरण समस्या आदि के अनुरूप तैयार किया जाये ।

4. यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने हेतु यातायात टर्मिनल (यात्री एवं सामान) को उपयुक्त स्थलों पर विकसित किया जाये । शहर के भीतरी भाग के सँकड़े मार्गों को यथा सम्भव छोड़ा किया जाना प्रस्तावित किया जाए तथा विद्यमान मार्गों के अतिरिक्त नये वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जावे ताकि यातायात दबाव कम किया जा सके ।

5. जिला मुख्यालय बनने की सम्भावनाओं के मद्देनजर राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालयों को संगठित परिसर में आवासीय योजनाओं के समीप स्थापित किये जाये ताकि आमजन की पहुँच वहाँ तक सुगम हो सके ।

6. शहर के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाय ताकि स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को रमणीय एवं सुरम्य स्थल उपलब्ध हो सके ।

7. प्राकृतिक सुन्दरता वाले स्थलों के पूर्ण रख रखाव को नये आमोद प्रमोद के क्षेत्रों के विकास के समय ध्यान रखा जावेगा ।

8. फलोदी शहर के चारों ओर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में होने वाले अव्यवस्थित विकास को निरन्तर करने के लिए परिधि नियन्त्रण पट्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

9. कच्ची बस्ती क्षेत्रों का विकास एवं पुनर्निर्माण योजना बद्ध कार्यक्रमों द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों में आवश्यक सामुदायिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सके एवं भविष्य में इस तरह के अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के लिए व्यवहारिक एवं व्यापक कार्य नीति बनाई जाये ।

10. नगर में सीवरेज व्यवस्था का अभाव है, जिसका समाधान एशियन विकास बैंक परियोजना अथवा अन्य योजना के माध्यम से सीवरेज लाईनें डालने का प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।

11. तालाब, जलाशय इत्यादि स्थलों को संरक्षित किया जाये एवं नाले अवरुद्ध नहीं किये जायें।

12. समूचे नगरीय क्षेत्र को नियोजन क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए, जिसके प्रत्येक क्षेत्र पर एक कार्य क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र, बाजार, शिक्षा, चिकित्सा, आमोद—प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

फलोदी का मास्टर प्लान यहाँ के लोगों की आवश्यकता एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मास्टर प्लान कार्यालय नीति तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कृत्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में आगामी 20 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। यह मास्टर प्लान 2003 के आँकड़ों पर आधारित है। इसका क्षेत्रिज वर्ष 2023 रखा गया है। इस तरह यह एक दीर्घकालीन योजना है यह भविष्य की आवश्यकताओं की सामूहिक तस्वीर प्रस्तुत करता है, एवं एक सन्तुलित योजना है। भू—उपयोग योजना को सभी तरह से संतुलित बनाये रखने का प्रयास किया गया है। फलोदी मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से नगर के सुव्यवस्थित विकास के साथ—साथ नये औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर स्थानीय जनता के लिये बढ़ेंगे। इस मास्टर प्लान में परिवर्तन, कानून के अनुसार शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार किया जा सकता है। राज्य सरकार से अनुमोदन के पश्चात् यह एक वैधानिक दस्तावेज बन जाता है।

4

भावी आकार

4

भावी आकार

मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष, 2023 अवधि तक कर्स्बे की जनसंख्या 1,10,000 होने का अनुमान है। मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत फलोदी सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 48281 एकड़ है। नगर के भावी आकार हेतु 5470 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

4.1 जनांकिकी –

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कर्स्बे की जनसंख्या 44,842 है। जनसंख्या की दृष्टि से जिले का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सन् 1951 की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या 15,224 थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 39,286 हो गयी। 1991 की जनगणना में वृद्धि दर 37.66 प्रतिशत रही। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति जिला मुख्यालय बनने की संभावना एवं भविष्य के विकास आदि को दृष्टिगत रखते हुए क्षितिज वर्ष – 2023 तक के लिए फलोदी की जनसंख्या लगभग 1,10,000 हो जाने का अनुमान है। तालिका संख्या – 10 में फलोदी की वर्ष 1951 से 2023 तक की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं वर्ष 2011 से 2023 तक के अनुमान को दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 10
जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति व अनुमान – फलोदी
(1951 – 2023)

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या अंतर	अंतर का प्रतिशत
1951	15,224	-	-
1961	15,722	+ 498	+ 3.27
1971	17,379	+ 1657	+10.54
1981	28,539	+ 11160	+64.22
1991	39,286	+ 10747	+37.66
2001	44,842	+ 5556	+14.14
2011@	66,000	+ 22,158	+47.18
2021@	98,000	+ 32,000	+48.48
2023@	1,10,000	+ 12,000	+12.24

स्रोत : भारतीय जनगणना एवं नगर नियोजन विभागीय जनसंख्या अनुमान

@नगर नियोजन विभाग का अनुमान

4.2 व्यावसायिक संरचना –

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार फलोदी नगर की जनसंख्या 44,842 है। इसमें से कुल कामगारों की संख्या 12,600 है, अर्थात् सहभागिता का अनुपात लगभग 28 प्रतिशत है। विभिन्न कारकों को दृष्टिगत रखते हुए जिसमें प्राकृतिक वृद्धि, जन्मदर एवं मृत्युदर में कमी, फलोदी जिला मुख्यालय बनने की सम्भावना नगर में बाहरी अप्रवासी जनसंख्या आदि के परिपेक्ष्य में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2023 हेतु 1,10,000 जनसंख्या अनुमानित की गयी है, जिसकी सहभागिता दर 32 प्रतिशत होगी। नगर के कुल कामगारों का सर्वाधिक 26 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य, 20 प्रतिशत उद्योग में एवं 28 प्रतिशत अन्य सेवाओं में रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका संख्या – 11 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 11
व्यावसायिक संरचना, फलोदी – 2023

क्र.संख्या		व्यवसाय	2001		2023	
			कामगारों की संख्या	प्रतिशत	कामगारों की संख्या	प्रतिशत
1		कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ एवं खनन सम्बन्धी कार्य	1323	10.50	2464	7
2		उद्योग	2457	19.50	7040	20
3		व्यापार एवं वाणिज्य	3150	25.00	9152	26
4		निर्माण	1386	11.00	4224	12
5		परिवहन एवं संचार	819	6.50	2464	7
6		अन्य सेवाएँ	3465	27.50	9856	28
		कुल योग	12600	100.00	35200	100.00

स्त्रोत :— नगर नियोजन विभागीय अनुमान ।

4.3 नगरीय क्षेत्र

फलोदी नगर का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत फलोदी नगर सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 28 जनवरी, 1999 को फलोदी का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 48311 एकड़ है। सन्दर्भित अधिसूचना परिशिष्ठ –2 पर अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र –

फलोदी नगर का वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र लगभग 2140 एकड़ है, जिसमें से 1560 एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। नगर के भावी विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित अवरोधों की भूमि को छोड़कर लगभग 5573 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण विद्यमान बस्तियों के विकास की सम्भावनाओं, भूमि वर्गीकरण, भूमि की रूपरेखा, नगरीयकरण की प्रभावशीलता एवं सम्भावना, विकास की दिशा, उपलब्ध भौतिक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, योजना की परिकल्पनाओं इत्यादि को

दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। फलोदी नगर की सन् 2001 की जनगणना अनुसार 44,842 रही है। क्षितिज वर्ष – 2023 में यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1,10,000 के लिए लगभग 5573 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें से 5428 एकड़ विकसित क्षेत्र होगा। भू-उपयोग मानचित्र का विश्लेषण, नगर की आवासीय विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता, अनुपातिक कार्य केन्द्रों का निर्धारण, व्यावसायिक गतिविधियों, अन्य सामुदायिक सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, आमोद-प्रमोद एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था इत्यादि को ध्यान में रखकर किया गया है। मास्टर प्लान में 5573 एकड़ नगरीयकरण योग्य भूमि का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित 5428 एकड़ क्षेत्रफल की प्रस्तावित विकसित गणना समग्र शहरी स्तरीय घनत्व लगभग 20 व्यक्ति प्रति एकड़ के आधार पर की गयी हैं।

4.5 योजना परिक्षेत्र –

फलोदी नगर के सुधार एवं भावी विकास की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए नगर के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को तीन योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें शहर के मध्य से गुजर रही जोधपुर – जैसलमेर रेलवे लाईन के दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिणी योजना परिक्षेत्र के नाम से तथा तीसरा योजना परिक्षेत्र परिधि नियन्त्रण क्षेत्र के नाम से प्रस्तावित किया गया है। इनका सीमांकन करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रमुख अवरोधों, लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के विस्तार की स्थिति आदि को दृष्टिगत रखा गया है। रोजगार, आवास, व्यावसायिक, शैक्षणिक गतिविधियों, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रत्येक योजना परिक्षेत्र स्वयं में आत्मनिर्भर एवं स्वालम्बी इकाई के रूप में होगा। फलोदी के योजना परिक्षेत्रों को तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 12

योजना परिक्षेत्र , फलोदी – 2023

क्र. स. संख्या	योजना परिक्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या (हजार में)
अ	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	3100	62400
ब	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	2473	47600
स	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र	42738	—
	कुल नगरीय क्षेत्र	48311	1,10,000

स्रोत : नगर नियोजन विभागीय आंकलन ।

(अ) उत्तरी योजना परिक्षेत्र –

यह परिक्षेत्र जैसलमेर–जोधपुर रेलमार्ग के उत्तर में स्थित है । इस परिक्षेत्र में नगर की पुरानी आबादी इन्द्रा कॉलोनी, किला, लटियाल माता का मन्दिर, गांधी चौक, त्रिपोलिया बाजार, सांघीदास की हवेली, ढढ़ों की हवेली, पाश्वनाथ जैन मन्दिर, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, जनरल हॉस्पिटल, नगर पालिका कार्यालय आदि स्थित है । इस परिक्षेत्र में राजकीय कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, शहर स्तरीय पार्क, होटल, व्यावसायिक केन्द्र, दो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, अस्पताल, पशु अस्पताल, जोधपुर–बीकानेर मार्ग का लिंक बाई पास आदि प्रस्तावित किये गये है । इस परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3100 एकड़ है ।

(ब) दक्षिणी योजना परिक्षेत्र –

यह परिक्षेत्र रेल्वे स्टेशन तथा जैसलमेर–जोधपुर मार्ग के दक्षिण में स्थित है । इस परिक्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, स्टेडियम, आई.टी.आई., उप अधीक्षक, पुलिस कार्यालय, आर.टी.डी.सी. का मिड-वे रेस्टोरेन्ट, हवाई पट्टी, कृषि उपज मण्डी समिति, बापू नगर, रानीसर तालाब आदि स्थित है । इस परिक्षेत्र में जोधपुर मार्ग पर मिनी कलकट्टे, जेल एवं पुलिस लाईन, महाविद्यालय तथा रामदेवरा मार्ग पर वेयर हाऊसिंग गोदाम, ट्रांसपोर्ट नगर, शॉपिंग सेन्टर, फल एवं सब्जी मार्केट, ऑटोमोबाईल मार्केट आदि प्रस्तावित किये गये है । इस परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2473 एकड़ है ।

(स) परिधि नियन्त्रण पट्टी :-

नगर के भावी नगरीयकरण योग्य क्षेत्र तथा उपरोक्त वर्णित दो योजना परिक्षेत्रों के बाहर तथा नगर सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस परिधि नियन्त्रण पट्टी में ग्रामीण आबादी क्षेत्र के वर्तमान स्वाभाविक विकास के साथ साथ कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी, फार्मिंग, चूना भट्टा, कुक्कुटशाला, कृषि आधारित लघु उद्योग, हाट बाजार, रिसोर्ट, फार्म हाउसेस, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम आदि गतिविधियाँ अनुज्ञेय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों का भी नियोजित ढंग से विकास किया जावेगा। नगर की परिधि में सम्भावित अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने तथा नगर के व्यवस्थित रूप में विकास को दिशा प्रदान करने में परिधि नियन्त्रण पट्टी का विशेष महत्व रहेगा। इस परियोजना परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 42738 एकड़ है।

5

भू-उपयोग योजना

5

भू उपयोग योजना

फलोदी नगर का मास्टर प्लान यहाँ की विभिन्न नगरीय गतिविधियों की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षणों एवं विश्लेषणों इत्यादि अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है ।

भू-उपयोग प्रस्तावित करते समय परिकल्पित जनसंख्या वृद्धि, व्यावसायिक संरचना की परिकल्पना एवं भूमि की उपलब्धता आदि को दृष्टिगत रखा गया है । भू-उपयोग योजना का आधार वर्ष 2003 तथा क्षितिज वर्ष 2023 रखा गया है । प्रस्तावित भू – उपयोग योजना नगरीय समस्याओं के निराकरण एवं भावी विकास के लिए दिशा-निर्देशित करने में सहायक सिद्ध होगी । भू-उपयोग योजना तैयार करते समय नगरीय क्षेत्र के समानुपातिक एवं एकीकृत विकास, पर्यावरण के महत्व, जल निकासी, विद्यमान विकास की दिशाओं तथा विभिन्न नगरीय गतिविधियों में अपेक्षित वृद्धि आदि को ध्यान में रखा गया है ।

नगर के भू – उपयोगों को प्रस्तावित भू – उपयोग मानचित्र में उनकी अवस्थिति के अनुसार दर्शाने का प्रयास किया गया है । भू – उपयोग मानचित्र एक सामान्य श्रेणीकृत मानचित्र है, जिसमें प्रत्येक इकाई को पृथक से दर्शाना सम्भव नहीं है, किन्तु प्रयास किया गया है कि प्रत्येक भू उपयोग को उसकी श्रेणी के अनुरूप संरचना के आधार पर दर्शाया जावें ।

फलोदी का वर्तमान में कुल नगरीकृत क्षेत्र 2140 एकड़ है, जिसमें से 1560 एकड़ विकसित क्षेत्र है। क्षितिज वर्ष – 2023 तक 1,10,000 अनुमानित जनसंख्या के लिए 5573.03 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 5428.13 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र होगा। प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में से 47.53 प्रतिशत आवासीय, 7.36 प्रतिशत व्यावसायिक, 4.66 प्रतिशत औद्योगिक, 5.92 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय, 7.0 प्रतिशत आमोद-प्रमोद, 7.73 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा परिसंचरण के अन्तर्गत 17.20 प्रतिशत रहेगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में राजकीय आरक्षित क्षेत्र, खुला क्षेत्र,

वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं जल क्षेत्र भी सम्मिलित किये गये हैं। निम्न वर्णित तालिका में प्रस्तावित भू-उपयोगों को दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 13

प्रस्तावित भू-उपयोग, फलोदी – 2023

क्रम संख्या	भू- उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	2648.74	48.80	47.53
2	व्यावसायिक	410	7.56	7.36
3	औद्योगिक	260	4.79	4.66
4	राजकीय/अर्द्धराजकीय/ सरकारी आरक्षित	330	6.08	5.92
5	आमोद – प्रमोद	390	7.18	7.00
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	430.64	7.93	7.73
7	परिसंचरण	958.75	17.66	17.20
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	5428.13	100.00	—
8	जलाशय	59.90	—	1.07
9	पौधशाला, फलोद्यान एवं डेयरी फार्मिंग	85	—	1.53
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	5573.03	—	100.00

स्त्रोतः— नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण ।

5.1 आवासीय

नगर के विकास की सफलता वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में आवासीय प्रबन्धन पर निर्भर है। वर्तमान में नगर के पुराने भाग में स्थित आवास आपस में सटे हुए एवं बहुमंजिले होने से इनमें खुली हवा एवं रोशनी का प्रायः अभाव रहता है। अतः आवासीय प्रस्तावों के परिणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। फलोदी नगर की आवासीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 2648.74 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की

गयी है, आवासीय कमी दूर करने के लिए विभिन्न योजना क्षेत्रों में आवासीय भू – उपयोग प्रस्तावित किये गये है तथा प्रत्येक नगरीय इकाई को एक स्वावलम्बी समूह के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इस इकाई का सबसे छोटा चरण मोहल्ला कहलाता है, जिनमें सामान्यतः 150–200 परिवारों का आवास स्थित होता है। ऐसी छोटी इकाई में निवास करने वालों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं व्यैक्तिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बढ़ती है। मोहल्लों के समूहों से योजना इकाई बनती है। जिसमें 4000–5000 के मध्य आबादी निवास करती है। ऐसी योजना ईकाइयों में प्राथमिक विद्यालय, वाणिज्यिक सुविधाएँ, लघु उद्यान एवं चिकित्सा सुविधाएँ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। योजना ईकाइयों के समूह को योजना क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिसमें 15,000 – 20,000 के मध्य जनसंख्या का निवास होता है। इन योजना क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, चिकित्सालय आदि की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

फलोदी शहर में वर्ष – 2023 की 1.10 लाख अनुमानित जनसंख्या को नियोजित रूप से बसाने हेतु तीन योजना परिक्षेत्रों में शहर को विभक्त किया गया है। प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में सभी आवश्यक जन सुविधाएँ उपलब्ध होगी। फलोदी शहर का औसतन आवासीय जनसंख्या घनत्व लगभग 40 व्यक्ति प्रति एकड़ का अनुमान आंकित किया गया है। योजना परिक्षेत्रों के निर्धारण में कार्य स्थल एवं सार्वजनिक सुविधाएँ आवास क्षेत्र से कम दूरी पर रहे, का विशेष ध्यान रखा गया है। विस्तृत योजना तैयार करते समय विभिन्न सुविधाएँ यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा आमोद प्रमोद आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5.1 (1) नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियाँ –

नगरीय नवीनीकरण के लिए शहर के भीतरी क्षेत्र की सड़कों को यथा सम्भव चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न चौराहों का सुधार एवं उनका विकास किया जाना प्रस्तावित है, नालियों का निर्माण, मार्गाधिकार से अतिक्रमणों को हटाना आदि के सम्बन्ध में सुनिश्चित कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय द्वारा कच्ची बस्तियों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवासीय योजनाएँ तैयार कर छोटे भूखण्ड उपलब्ध कराने एवं विद्यमान कच्ची बस्तियों में चरणबद्ध क्रम में नियोजित विकास कार्य कराने का प्रावधान किया जावेगा।

5.2 व्यावसायिक :

फलोदी नगर, जोधपुर जिले का व्यावसायिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। नगर की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ पुराने क्षेत्र में केन्द्रित हैं। गांधी चौक, नया बाजार, पुरानी अनाज मण्डी, जवाहर प्याऊ मार्केट, त्रिपोलिया, राईका बाग, स्टेशन रोड़, नागौर रोड़, आदि प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं। नगर के भौतिक विकास के साथ-साथ यहाँ के आर्थिक दृश्य में भी परिवर्तन आया है। नगर का पुराना क्षेत्र प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों की भूमिका निभा रहा है। आवासीय क्षेत्रों से सरल एवं सीधी पहुँच आदि कारणों से इन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ स्थित मुख्य बाजार स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र के अतिरिक्त पश्य क्षेत्र का भी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है तथा भविष्य में भी इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होती रहेगी। नगर के भीतरी भाग में व्यावसायिक गतिविधियों हेतु और अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। अतः थोक व्यापार एवं भण्डारण वाले प्रतिष्ठानों को बाहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित स्थलों पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है ताकि इन क्षेत्रों पर यातायात, पार्किंग एवं सामान लदान की समस्याओं से नागरिकों को राहत मिल सके। थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक हेतु 2 व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यवसाय हेतु 17 उप व्यावसायिक केन्द्र उचित स्थलों पर प्रस्तावित किये गये हैं। फलोदी में विद्यमान में 130 एकड़ भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग में आ रही है जो कि विकसित क्षेत्र का 8.33 प्रतिशत है।

व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार के साथ साथ इन क्षेत्रों में यातायात दबाव भी बढ़ा है। नियोजित पार्किंग स्थलों के अभाव में वाहनों का सड़कों के सहारे-सहारे ही पार्किंग किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है।

फलोदी के क्षितिज वर्ष 2023 तक विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में लगभग 35200 कामगारों के नियोजन का आंकलन किया गया है। वर्ष 2023 हेतु विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 410 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्रों को निम्न वर्णित तालिका संख्या 14 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या :— 14

प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्रों का विवरण फलोदी 2023

क्रम संख्या	व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1—	फुटकर व्यवसाय एवं सुविधाजनक दुकानें	50.00
2—	व्यावसायिक केन्द्र	126.00
3—	विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार	144.00
4—	भण्डारण गृह एवं गोदाम	90.00
	योग	410.00

5.2 (1) फुटकर व्यवसाय एवं सुविधाजनक दुकानें :

नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए सुविधाजनक दुकानें, प्रत्येक योजना क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि 6 से 10 दुकानों के समूह में लगभग 3000 से 5000 तक की आबादी की सुविधा हेतु होगी। इस तरह प्रत्येक योजना परिक्षेत्र के अन्तर्गत 4 से 5 सुविधाजनक दुकानों के खण्ड प्रस्तावित किये जायेंगे।

5.2 (2) व्यावसायिक केन्द्र :

नगर की बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए भू उपयोग योजना में व्यावसायिक गतिविधियों को विकेन्द्रित करने की दृष्टि से व्यावसायिक केन्द्र हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है, जिनमें दुकानें, पेट्रोल पम्प, होटल, बैंक, वाणिज्यिक परिसर आदि आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रस्तावित की जावेगी। यह केन्द्र क्षेत्रीय सामुदायिक सुविधाओं एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं जैसे – पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि से युक्त होंगे।

मास्टर प्लान में प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में लगभग 1500 से 2000 तक जनसंख्या की सुविधा हेतु एक स्थानीय खरीददारी केन्द्र का प्रावधान रखा गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय प्रस्तावित की जायेगी। स्थानीय खरीददारी केन्द्र हेतु लगभग 2 से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा जिसकी सरल पहुँच किसी भी योजना परिक्षेत्र से 15 से 20 मिनिट के समय की दूरी पर स्थित होगें। इसमें खुदरा दुकानें, सेवा दुकानें डाकघर सामुदायिक केन्द्र इत्यादि सम्मिलित होंगें।

5.2 (3) विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार :

वर्तमान में थोक व्यापार नगर के मध्य भाग में स्थित है। अतः नगर के भीतरी इलाकों में यातायात के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए थोक बाजार के लिए रामदेवरा मार्ग पर लगभग 144.00 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसमें वर्तमान में स्थित कृषि उपज मण्डी भी सम्मिलित है।

5.2 (4) भण्डार गृह एवं गोदाम :

नगर में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त भण्डारगृहों एवं गोदामों की आवश्यकता रहेगी। अतः रामदेवरा मार्ग एवं बीकानेर मार्ग पर कुल 90 एकड़ भूमि भण्डार एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गयी हैं।

5.3 औद्योगिक :

फलोदी नगर नमक उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र होने से इससे सम्बन्धित उद्योग की अनेक इकाईयाँ स्थापित हैं, जिसका प्रमुख कारण इस उद्योग हेतु आधारभूत सुविधाएँ कच्चा माल एवं औद्योगिक वातावरण की उपलब्धता होना है। नमक से सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्र में अन्य इकाईयाँ यथा ग्वार गम, दाल मिल, तेल मिल इत्यादि स्थापित हैं।

नगर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जोधपुर सड़क पर स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है, तथा बीकानेर सड़क एवं प्रस्तावित बाई-पाससड़क के मध्य 150 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गयी है। घरेलू क्षेत्रों में स्थापित घरेलू/कुटीर उद्योगों को इन क्षेत्रों में रहने दिया जावेगा, बशर्ते कि

उनकी श्रेणी/स्तर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जावे अन्यथा उन्हें नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किया जावेगा । इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर मार्ग पर क्षितिज वर्ष 2023 तक के लिए औद्योगिक उपयोग हेतु 260 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है ।

5.4 राजकीय :

5.4 (1) राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय :

फलोदी में कार्यालय हेतु वर्तमान में कोई व्यवस्थित परिसर नहीं है, फलस्वरूप विभिन्न सरकारी कार्यालय नगर में अलग अलग स्थलों पर स्थापित हैं । यहाँ स्थित प्रमुख कार्यालयों में एस.डी.ओ., न्यायालय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कृषि उपज मण्डी समिति एवं नगर पालिका कार्यरत है जो कि अधिकांशतः मलार रोड़ (मुख्य बाजार मार्ग) पर स्थित है । फलोदी नगर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्यालय बीकानेर सड़क के पश्चिम एवं रेलवे लाईन के उत्तर में स्थित है, जो नियोजित रूप में है तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर भी राजकीय कार्यालय के साथ साथ नियोजित रूप में विकसित किया हुआ है । राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं फलोदी नगर के जिला मुख्यालय बनने की सम्भावना आदि को दृष्टिगत रखते हुए दक्षिण परिक्षेत्र में जोधपुर सड़क पर मिनी कलेकट्रट प्रस्तावित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 119 एकड़ है । इसके अतिरिक्त उत्तरी परिक्षेत्र में बीकानेर सड़क पर, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय हेतु 16 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । इस प्रयोजनार्थ कुल 232 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है ।

5.4 (2) सरकारी आरक्षित :

फलोदी नगर में वर्तमान में राजकीय आरक्षित प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध नहीं है, इस हेतु योजना के दक्षिण परिक्षेत्र में जोधपुर मार्ग पर 98 एकड़ भूमि राजकीय आरक्षित हेतु प्रस्तावित की गयी है ।

5.5 आमोद–प्रमोद :

फलोदी नगर में आमोद–प्रमोद हेतु स्थलों की कमी है, अतः यहाँ की जनता के आमोद–प्रमोद हेतु मास्टर प्लान के योजना परिक्षेत्रों में पार्क, खुले स्थल, खेल मैदान, सामुदायिक भवन आदि सुविधाओं हेतु 390 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल :

वर्तमान में नगर में नगर पालिका के पास दीन दयाल थानवी उद्यान, कृषि उपज मण्डी के पास जगदीश चन्द्र बसु उद्यान एवं आदर्श नगर तथा बापू नगर कॉलोनी स्थित उद्यान प्रमुख हैं।

नगर के विकास में पार्क, खुले स्थल, स्टेडियम, पुस्तकालय, सामुदायिक केन्द्र आदि आमोद–प्रमोद के स्थलों का विकास योजना में प्रमुख स्थान होता है। जिसका प्रभाव शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। अतः नगर में उद्यानों एवं खुले स्थलों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरी योजना परिक्षेत्र में 104 एकड़ भूमि तथा दक्षिणी योजना परिक्षेत्र में 156 एकड़ भूमि पार्क एवं खुले स्थल के लिए प्रस्तावित की गयी है। नगर के उत्तरी भाग में मालियों का तालाब के सहारे सहारे उत्तरी भाग में उद्यान विकसित किये जाने हेतु 30 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है तथा नगर के मध्य स्थित रानीसर तालाब के चारों ओर खुला क्षेत्र रखा गया है। नगर के दक्षिणी भाग में औद्योगिक क्षेत्र के समीप उद्यान विकसित किये जाने का प्रावधान किया गया है। आमोद–प्रमोद हेतु भू–उपयोग योजना में 390 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीय स्तर के उद्यान नगर के पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। आमोद–प्रमोद की सुविधाओं को नेबरहुड, सेक्टर, शहरी एवं क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजना में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान :

फलोदी नगर में जोधपुर रोड पर स्टेडियम विकसित किया गया है, इसका क्षेत्रफल 46.00 एकड़ है। यह स्टेडियम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह स्टेडियम जन सुविधाओं के अनुरूप रहेगा। अतः स्टेडियम हेतु नये प्रस्ताव योजना में प्रस्तावित नहीं किये गये हैं।

5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन :

स्वारक्ष्यवर्धक जीवन के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है। नगर वासियों को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो, इसके लिए अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से योजना परिक्षेत्रों में कलब, विज्ञान उद्यान, जल उद्यान, उद्यान आदि प्रयोजनार्थ पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई गयी है, जिन पर उनका विकास किया जा सकेगा।

5.5 (4) मेले/पर्यटन सुविधाएँ :

फलोदी नगर अपनी कलात्मक हवेलियों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ स्थित सेठ साँगीदास की हवेली, कानूनगों की हवेली, पारखों की हवेली आदि अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लटियाल माता मन्दिर के पास प्रति वर्ष नवरात्रि का मेला सितम्बर-अक्टूबर (आश्विन शुक्ल अष्टमी) में लगता है, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा आस-पास के लोग भी सम्मिलित होते हैं। दशहरा मेला स्थानीय स्टेडियम मैदान में आयोजित होता है। इसी प्रकार देचू रोड के पश्चिम में 37 एकड़ भूमि मेला स्थल हेतु उपलब्ध है। समीपवर्ती गांव खीचन अप्रवासी पक्षी साईबेरियन क्रेन (कुरजां पक्षी) विहार हेतु प्रसिद्ध है। नागोर सड़क पर पर्यटन सुविधा हेतु 32 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक –

नगर के समुचित विकास में योजना क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं यथा, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ तथा जनोपयोगी सुविधाओं यथा – जलापूर्ति, जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन, विद्युत आपूर्ति तथा श्मशान एवं कब्रिस्तान आदि सुविधाओं का

प्रावधान जन आवश्यकताओं के लिए मास्टर प्लान में रखा गया है। इसके लिए 430.64 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (1) शैक्षणिक –

शिक्षा विकास का केन्द्र बिन्दु है। अतः नगर की शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष – 2023 तक के मास्टर प्लान में शिक्षण आवश्यकताओं हेतु उत्तरी एवं दक्षिणी योजना परिक्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। फलोदी नगर में वर्तमान में 5 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं, इसके अलावा नगर में महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित हैं। नगर की भावी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 26 एकड़ एवं महाविद्यालय हेतु लगभग 56 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। बाईं-पास सड़क के समीप महाविद्यालय हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। फलोदी नगर में शैक्षणिक स्तर, प्राथमिक कक्षा से उच्च माध्यमिक कक्षा तक का भावी आंकलन तालिका 15 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या :- 15

शैक्षणिक संरचना, फलोदी – 2023

क्र.सं.	कक्षा	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या से विद्यालय आयु वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	आवश्यक अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	3–10	9	10,000	33
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11–13	9	6,600	20
3	माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय	14–17	5	5,500	8

5.6 (2) चिकित्सा :

चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत वर्तमान में नगर में 50 शैय्याओं युक्त राजकीय चिकित्सालय कार्यरत है, जो नगर एवं आस—पास के ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक एवं निजी किलनिक कार्यरत हैं। नगर की भावी प्रस्तावित जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें यथा स्थान चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। फलोदी नगर के नगरीय क्षेत्र को तीन योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र को छोड़ने के उपरान्त प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को दो योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तथा प्रत्येक योजना परिक्षेत्र को चिकित्सा क्षेत्र में नगर नियोजन मापदण्डों के अनुरूप आत्म निर्भर बनाने हेतु चिकित्सा सुविधाएँ प्रस्तावित की गयी है। अतः भू उपयोग योजना में इस हेतु कुल 52 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक :

नगर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन नगर पालिका के समीप स्थित स्व.श्री झूँगर दास छांगाणी स्मृति टाऊन हॉल में होता है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16 सामुदायिक भवन निर्मित हैं। जिन्हें विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता है। भावी आवश्यकताओं के लिए विस्तृत योजना तैयार करते समय विभिन्न योजना क्षेत्रों में इस प्रयोजनार्थ रथल प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

5.6 (4) धार्मिक/ ऐतिहासिक स्थल :

फलोदी नगर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, यहाँ स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों में लटियालपुरा में लटियाल माता का मन्दिर, सदर बाजार के पास कल्याण राव मन्दिर, श्री आदिश्वर जैन मन्दिर, श्री शान्तिनाथ जैन मन्दिर, राणीसर तालाब के पास महादेव का मन्दिर, त्रिपोलिया बाजार में श्री गोड़ी पार्श्वनाथ जैन मन्दिर, गांधी चौक में शीतलनाथ मन्दिर, रेल्वे स्टेशन के पीछे जामा मस्जिद आदि प्रमुख हैं। यहाँ स्थित राव हमीर का किला ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर है। इन सभी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का समुचित संरक्षण एवं विकास किया जाना इन स्थानों की महत्वता को देखते हुए अपेक्षित है।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

वर्तमान में नगर में रेल्वे स्टेशन के पास धर्मशाला स्थित है। भू उपयोग योजना के प्रत्येक परिक्षेत्र में अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएँ यथा – पुलिस थाने, दूरभाष केन्द्र, कलब, युवा केन्द्र, अग्नि शमन केन्द्र इत्यादि हेतु प्रावधान किये गये हैं। भावी आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय स्थानीय विशेषताओं तथा भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु उचित स्थल प्रस्तावित किये जावेगें।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ :

5.6 (6) (अ) जलापूर्ति :

फलोदी नगर में लगभग 60 लाख लीटर पेयजल की प्रतिदिन आपूर्ति की जाती है। नगर की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत यहाँ स्थित विभिन्न क्षेत्रों के 17 नलकूप हैं, जो क्रमशः आदर्श नगर, पशुमेला मैदान, सिलसर तालाब, आदि क्षेत्रों में स्थित हैं। नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की अपेक्षित मांग के अनुरूप जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा एक विस्तृत दीर्घकालीन योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

5.6 (6) (ब) मल–जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन :

नगर में मल–जल निस्तारण एवं सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, अपितु नई विकसित आवासीय कॉलोनियों यथा आदर्श नगर, इन्द्रा कॉलोनी, आई.जी.एन.पी. कॉलोनी आदि में सैप्टिक टैंक या सोकपिट का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में वातावरण दूषित होने के साथ साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। अतः भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि नगर की सीवरेज व्यवस्था की योजना अन्य बड़े नगरों की तरह योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जावें। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज परिशोधन संयंत्र अध्ययन कर यथा उचित स्थान पर लगाया जा सकेगा।

ठोस कचरा निस्तारण हेतु मलार रोड़ पर राजस्व ग्राम फलोदी के खसरा नं. 189 में 50 बीघा भूमि आरक्षित की है। जिस पर चार दिवारी बनाकर कचरा निस्तारण किया जा रहा है। यह नगर से लगभग 2 कि.मी दूरी पर स्थित है चुकि यह क्षेत्र मास्टर प्लान प्रस्ताव 2023

मे आवासीय प्रस्तावित किया गया है। अतः भविष्य मे नगर पालिका द्वारा कचरा निस्तारण हेतु और अन्यत्र परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र मे आबादी से दूर स्थान का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (6) (स) विद्युत आपूर्ति :

नगर में विद्युत आपूर्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जोधपुर-तिंवरी-मथानिया से जैसलमेर को जाने वाली 132 के.वी. जीएसएस से की जा रही है। नगर की जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ विद्युत की मांग में वृद्धि होगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा भू उपयोग योजना को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत वितरण की उपयुक्त योजना तैयार की जावेगी। भू-उपयोग योजना में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड सब स्टेशन एवं सब स्टेशन हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

नगर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। नगर की बढ़ती आबादी के कारण श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु नये स्थलों की आवश्यकता रहेगी। भविष्य की आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों का चयन परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में स्वीकृत किया जा सकेगा। इन स्थलों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण :

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना :

यह कस्बा अपनी पश्चय भूमि के लिए न केवल प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करेगा अपितु व्यापार, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाओं व पर्यटन गतिविधियों का भी प्रमुख केन्द्र रहेगा। अतः यहाँ एक सुगम परिसंचरण प्रणाली विकसित की जाने के लिए भू-उपयोग योजना में विभिन्न श्रेणी की श्रृंखलाबद्ध सड़कें प्रस्तावित की गयी है। जिसके लिए 959.1 एकड़ भूमि सम्मिलित की गयी है।

5.7 (1) अ-सड़कों का मार्गांधिकार :

वर्तमान में नगर के दक्षिणी पूर्वी भाग से राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गुजर रहा है जो जैसलमेर व बीकानेर से जुड़ा हुआ है। नगर के मध्य से गुजरने वाले भारी यातायात दबाव

को कम करने हेतु नगर के पूर्व एवं दक्षिण में एक बाई—पास सड़क प्रस्तावित की गयी है । इससे बीकानेर जैसलमेर जोधपुर व नागौर की ओर जाने वाले भारी वाहन बाहर से ही गुजर सकेंगे । यह प्रस्तावित बाई पास नगर के बाहरी रिंग रोड़ के रूप में भी कार्य करता रहेगा । इस प्रस्तावित बाई पास का मार्गाधिकार 200' रखा गया है, जिसके दोनों ओर 100' 100' चौड़ी पर्यावरण वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की गयी है । प्रस्तावित मेला ग्राउण्ड स्थल के समीप से एक सब आरटियल रोड़ प्रस्तावित की गयी है, जो कि बीकानेर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को कास करता हुआ प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के समीप से गुजरता हुआ प्रस्तावित बाई पास से सम्पर्कित होगा । इसी प्रस्तावित सब आरटेरियल रोड़ के पूर्व की ओर एक और समानान्तर सब आरटेरियल रोड़ प्रस्तावित की गयी है जो कि बीकानेर रामदेवरा सड़क से सम्पर्कित होगी । नगर के उत्तर पूर्व में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के सामने एक सब आरटेरियल रोड़ प्रस्तावित किया गया है जो मलार रोड़ को कास करता हुआ मालियों के बन्धा के उत्तर दिशा की ओर से गुजरेगा । केशव नगर के उत्तर की ओर मलार रोड़ से बीकानेर रामदेवरा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक किलोमीटर स्टोन से गुजरती हुई एक सब आरटेरियल रोड़ प्रस्तावित की गयी है, जो प्रस्तावित बाई पास से सम्पर्कित होगी । रामदेवरा से बीकानेर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हवाई पट्टी के पास से एक सब आरटेरियल मार्ग प्रस्तावित किया गया है जो कि प्रस्तावित बाई पास से सम्पर्कित होगा । सुगम यातायात के लिए फलोदी कोलायत रेलमार्ग के दोनों ओर सब आर्टेरियल सड़के प्रस्तावित की गयी है । इन सब सड़कों के अतिरिक्त भू—उपयोग मानचित्र में विभिन्न श्रेणी की शृंखलाबद्ध सड़के प्रस्तावित की गयी है । विभिन्न श्रेणी की सड़कों का मार्गाधिकार निम्नलिखित तालिका संख्या 16 में दर्शाया गया है :—

तालिका संख्या – 16

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, फलोदी – 2023

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों का मार्गाधिकार (फीट में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग / बाई पास / राज्य राजमार्ग	200
2	प्रमुख मार्ग (आरटेरियल)	120–160
3	उप प्रमुख मार्ग (सब आरटेरियल)	80–100
4	मुख्य मार्ग (मेजर रोड)	60–80

5.7 (1) ब—सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक सख्त्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फलोदी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर की संयुक्त समिति द्वारा सड़क की चौड़ाई का निर्धारण किया जा सकेगा। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (1) स—चौराहों का सुधार एवं पुलिया निर्माण

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतन्त्र रूप से चलाने में जो बाधाएँ आती हैं, उनमें अपर्याप्त तथा गलत चौराहों के कारण भीड़—भाड़ तथा विलम्ब होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात सम्बन्धित अध्ययनों तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाइन करने का प्रस्ताव है। नगर के मध्य रेलवे लाईन स्थित होने के कारण वन विभाग कार्यालय के समीप एवं प्रस्तावित बाई—पास पर दो रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

5.7 (1) द – पार्किंग व्यवस्था :

फलोदी में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात सम्बन्धित समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गम्भीर होती जा रही है। पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में जो भी खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यावसायिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय इसमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर योजनाओं में उचित पार्किंग स्थान का प्रावधान रखा जाए। इसी तरह शहर के पुरानी आबादी क्षेत्रों में भी पार्किंग की समस्या अधिक है। अतः पुरानी आबादी क्षेत्रों में जहाँ पर भी खुले स्थान उपलब्ध हो उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे।

5.7 (2) बस तथा ट्रक टर्मिनल :

फलोदी में वर्तमान में नगर पालिका के समीप लगभग 4.6 एकड़ भूमि पर बस स्टेण्ड विद्यमान है, जो कि वर्तमान जनसंख्या के लिए पर्याप्त है लेकिन क्षितिज वर्ष 2023 तक बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होगा। अतः वर्तमान बस स्टेण्ड को यथावत रखते हुए दक्षिणी परिक्षेत्र में रामदेवरा सड़क पर नये बस स्टेण्ड हेतु लगभग 12 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान में ट्रक मुख्य मार्गों के सहारे–सहारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का नगर में कम से कम प्रवेश हो इसके लिए दक्षिणी परिक्षेत्र में रामदेवरा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर प्रस्तावित ऑटोमोबाईल मार्केट के समीप लगभग 32 एकड़ भूमि ट्रांसपोर्ट नगर हेतु प्रस्तावित की गयी है।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा :

फलोदी नगर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर–जोधपुर ब्रोडगेज रेलवे लाईन से सम्पर्कित है। रेलवे लाईन नगर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। फलोदी नगर को कोलायत से रेलवे लाईन द्वारा जोड़ा गया है जो नगर के पूर्वी भाग से गुजरती है। कोलायत से रेल सुविधा उपलब्ध होने से फलोदी नगर के निवासियों को एक ओर सुविधा उपलब्ध हो गई है।

वर्तमान में यहाँ मेजर शैतानसिंह स्टेडियम के पास लगभग 177 एकड़ भूमि हवाई पट्टी हेतु उपयोग में आ रही है। जिसके दक्षिण एवं पश्चिम में खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5.8 परिधि नियन्त्रण पट्टी :

नगर में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित की गयी है। इस क्षेत्र की भूमि का उपयोग प्रमुख रूप से कृषि, वृक्षारोपण एवं इससे सम्बंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। जिसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण अधिवासों का विकास नियन्त्रित एवं नियोजित ढंग से किया जावेगा। ग्रामीण अधिवासों का विकास ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियन्त्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव आने पर योजनाओं का अनुमोदन किया जायेगा।

परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाई – वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, मोटल, कुक्कट शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, वाटर पार्क, एम्युजमेंट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग यथा क्रेशर, ईंट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, स्टोन पोलिशिंग, गैस गोदाम उद्योग आदि सक्षम स्वीकृति लेकर अनुज्ञेय होंगे।

राजमार्गों एवं बाई-पास के सहारे अनुज्ञेय विकास करते समय इन मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद ही उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सम्मिलित हो सकेंगे। इस प्रकार के सभी अनुज्ञेय विकास सर्विस रोड़ एवं राजमार्ग बाई-पास की ओर उन्मुख न होकर पीछे की ओर खुलते हुए अन्तर्मुखी होंगे।

5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र :

परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में आने वाले गांवों का विकास एवं विस्तार नियन्त्रित एवं नियोजित तरीके से किया जावेगा। इससे इस ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न भू-उपयोग को नियन्त्रित करने में बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का उनकी न्यूनतम विस्तार आवश्यकताओं एवं ग्राम पंचायत के प्रस्तावों आदि को दृष्टिगत रखते हुए, नगरीय ग्राम के रूप

में विस्तार एवं विकास सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि ग्रामीण आबादी से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान हो सके । परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में जंगलात, बुआई, वृक्षारोपण, डेयरी, पोल्ट्री फार्म हाउस इत्यादि उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी । इससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाले जनसंख्या पलायन को नियन्त्रित किया जा सकेगा ।

6

योजना का क्रियान्वयन

6

योजना का क्रियान्वयन

फलोदी की योजना तैयार करने मात्र से ही योजनाबद्ध प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। वास्तव में यह तो निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा नगर के सुनियोजित विकास के प्रयास का प्रथम चरण मात्र है। योजना को मूर्तरूप करने का सबसे सही उपाय यही है कि इसे पूर्ण दृढ़ता एवं क्षमता के साथ कार्य रूप में परिणित किया जाये।

अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं रहा कि वे अव्यवहारिक थीं, अपितु एक प्रमुख मुख्य कारण यह रहा कि, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व इसे दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। योजना क्रियान्वयन उप क्रियाओं का एक स्वरूप हैं जो, योजना को कार्य रूप में रूपान्तरित करता है तथा उसे मात्र विचार करने की बजाय निष्पादित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों एवं क्रियाओं को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती हैं, जिनकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संबंधित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिये होती है।

इस दृष्टि से निर्णायक और विकास दोनों ही प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शक और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय साझेदारी और सहयोग पर ही योजना की सफलता या असफलता निर्भर करती है। अतः हम सभी का यह परम दायित्व है कि, फलोदी नगर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग एवं लगन की भावना के साथ कार्य करें।

6.1 वर्तमान आधार :

वर्तमान में फलोदी नगरपालिका का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिससे कि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य को प्रभावी

तरीके से नियमित किया जा सके। नगरपालिका की विकास एवं नियमन गतिविधियां नगरपालिका सीमा तक ही सीमित हैं। फलोदी में कई सरकारी एवं अद्वृत्त सरकारी कार्यालय स्थित हैं, जो अपने—अपने सीमा क्षेत्र में अपने नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुरूप विकास कार्य करते हैं। जिन पर नगरपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्तावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिये सभी विभागों एवं संस्थानों में पारस्परिक सहयोग एवं सामन्जस्य की आवश्यकता है ताकि इस योजना के समस्त क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास किया जा सके।

6.2 प्रस्तावित आधार :

फलोदी शहर की प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका, फलोदी का रहेगा। योजना लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना की एक प्रति सम्बन्धित निकाय को भेजी जायेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित योजना की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे कि फलोदी के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त अनुमोदित योजना के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित निकाय द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित योजना (मास्टर प्लान) की प्रतियाँ नगर पालिका बोर्ड में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगर पालिका, फलोदी से निर्धारित शुल्क पर क्रय कर सकेंगी।

नगर पालिका, फलोदी मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप इसके सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेंगी। जलापूर्ति एवं मल—जल निकास की योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार की जायेगी तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी। नगर पालिका, फलोदी मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर परियोजनाएँ तैयार कर उनकी क्रियान्वयन की

कार्यवाही करेंगे। योजना क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका, फलोदी क्रियान्वयन का दायित्व वहन करेंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है, मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवासि :

फलोदी के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियाँ /अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये योजना 2023 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की जारी की गई किसी स्वीकृत यथा 90—बी, के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन सहवन से नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा। यह एक सामान्य भू-उपयोग योजना है एवं बड़े पैमाने पर होने के कारण छोटे भू-उपयोग दिखाया जाना संभव नहीं होता ऐसे सभी भू-उपयोग जो वृहद्भ भू-उपयोग में सामान्यतः देय होते हैं एवं जो नियमानुसार स्वीकृत है उनको समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र जलाशय, डूबे क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वार्तविक स्थिति राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नाले, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण /नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। किन्तु ऐसे विकास/निर्माण यदि नदी/नाले/जलाशयों के लिए आवश्यक हो तो सम्बन्धित विभाग

नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा। कार्यान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्रधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

6.5 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। फलोदी का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और फलोदी को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से स्वारक्ष्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

(अ)

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति—

1. राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

2. मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझें।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढाँचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम आयेगा।

5. अनुसरण की जाने की प्रक्रिया

1. मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें, प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

2. ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्रधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

3. ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप में मास्टर प्लान तैयार करेगा।
4. इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से संबंध किसी अन्य विषय के संदर्भ में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

1. प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमादनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
2. राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेंगी।
3. राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेंगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेंगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूँछक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आवेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST
(GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F.4(32) LSG/A/59 dated 2-4-1962, published in the Rajasthan Gazette, Part IV- C, Extra ordinary, dated 8-6-1962 page 118]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962”.

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazetee.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires :-

(1) “Act” means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act.

(3) “Section” means a section of the Act.

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents there of under section 5(1)

- (1). The draft master plan prepared by the officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice.
- (2). The notice referred to in sub-rule (1) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area include in the Master Plan.
- (3). The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :-
 - (a) Town Map showing general layout of the roads and streets in the Towns.
 - (b) Base Map showing the generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial industrial public and semi public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the Authority deem fit or as the state government may direct the officer or the authority in this regard.

(4). Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :-

- (1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the master plan, the officer or the authority shall in consultation with the advisory council constituted under section 3(2) of the Act finalize the master plan and submit the same if constituted to the state government for approval.
- (2) When the master plan has been approved by the state government it shall publish in the official gazette, a notice in form 'B' stating that the master plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

FORM 'A'

(See Rule 3)

NOTICE

In pursuance of sub-section (1) of Section 5 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, readwith rule 3 of the Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962, notice is hereby given that the draft of the Master Plan has been prepared in respect of the following areas :-

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

Any person may submit objections and suggestions with respect to the said Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette to the undersigned.

Officer or Authority

Appointed under Section 3 of the Act

FORM 'A'

(See Rule 3)

NOTICE

In pursuance of Section 7 of Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, read with Rule 4 framed thereunder Notice is hereby given that the Master Plan prepared in respect of the following areas has been approved by the State Government.

Copy of this Master Plan may be inspected in the Office of the Urban Improvement Trust/Municipality on any working day during office hours.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :— प10(47)नविवि / 3 / 98 जयपुर, दिनांक :— 28, जनवरी, 1999

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान जयपुर को फलोदी नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैं :—

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम
1.	फलोदी
2.	एका भाटियाँ
3.	गज्जा
4.	लोडिया
5.	खीचन
6.	मोहरा
7.	डेडीसरा
8.	जुनेजो की ढाणी

राज्यपाल की आज्ञा से
ह.

(ए. आर. पठान)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

परिषिष्टः—३

क्रमांकः—टीपीआर 1116 /एमपी/फलोदी/

दिनांकः— 24.07.2007

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत फलोदी के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान—2023 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं:—

क.सं. राजस्व ग्राम/चक का नाम

1. फलोदी
2. लोर्डिया
3. एका भाटियों
4. गज्जा
5. खीचन
6. मोहरा
7. डेडीसरा
8. जुनेजो की ढाणी

फलोदी मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है। आपत्तियां एवं सुझाव नगरपालिका, फलोदी अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में नगरपालिका भवन, फलोदी में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगरपालिका, फलोदी से क्रय किये जा सकते हैं।

(के.सी. मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(मास्टर प्लान)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

परिषिष्टः—4

क्रमांक : प.10(47)नविवि / ३ / ९८पार्ट

जयपुर, बिहांक १ MAY 2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 के द्वारा यथा अधिसूचित 'फलौदी (जिला-जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2023 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2023 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, फलौदी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।


राज्यपाल की आड़ा से

ह०

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में कावाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (परिचय), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जौन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, फलौदी, जिला-जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक